झारखण्ड सरकार

# श्री रघुवर दास

मुख्य (वित्त) मंत्री

का

# बजट भाषण

राँची, दिनांक 23 जनवरी, 2017

झारखण्ड सरकार

# श्री रघुवर दास

**मुख्य (वित्त) मंत्री**

**का**

# बजट भाषण

**राँची, दिनांक 23 जनवरी, 2017**

**आदरणीय अध्यक्ष महोदय,**

भवदीय अनुमति से आगामी वित्तीय वर्ष 2017—18 का बजट इस गरिमामय सदन के पटल पर उपस्थापित कर रहा हूँ।

2. महोदय, आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती है, हम इस दिन परम श्रद्धेय नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को सादर नमन करते हैं। इस पुनीत अवसर पर मैं झारखण्ड के अमर वीरों **बिरसा मुण्डा, सिद्धू, कान्हू, चाँद, भैरव, वीर बुद्धू भगत, नीलाम्बर—पीताम्बर, तेलंगा खड़िया, जतरा टाना भगत, पाण्डेय गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ साहदेव, तिलका मांझी, शेख भिखारी** जी के साथ ही, झारखण्ड के सभी अमर शहीदों का भी सादर नमन करता हूँ तथा **राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी, भारत रत्न बाबासाहब डॉ० भीमराव अम्बेडकर** तथा **युगप्रवर्त्तक प्रणेता स्वामी विवेकानन्द जी** को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस अवसर पर मैं आपके प्रति, इस प्रबुद्ध सदन के प्रति तथा गौरवशाली झारखण्ड की जनता के प्रति हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूँ।

3. महोदय, झारखण्ड अपार प्राकृतिक संसाधनों तथा खनिज संपदा से भरपूर है किन्तु यह भी सत्य है कि यहाँ के निवासी गरीब हैं। **पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी**, जिन्होंने भारत के सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी, और जिनका यह जन्मशत्ति वर्ष है, ने कहा था **''आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का माप समाज के उपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति नहीं, बल्कि सबसे नीचे के स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से होगा''**। इसी विचारधारा से प्रेरित होकर वित्तीय वर्ष 2017—18 को हम **''गरीब कल्याण वर्ष''** के रूप में मनायेंगे और इस वर्ष का बजट एवं प्रमुख आर्थिक कार्यकलाप समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्तियों के लिए समर्पित रहेगा।

4. **अध्यक्ष महोदय,** राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं और झारखण्ड भी इससे अछूता नहीं है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goal) वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इस हेतु 15 वर्षों की दीर्घकालीन विजन दस्तावेज (Vision Document), 07 वर्षों की विकास रणनीति (Strategy) एवं 03 वर्षों की कार्य योजना (Action Plan) तैयार किया जाना है, ताकि वर्ष 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बजट बनाने की प्रक्रिया में भी अब योजना एवं गैर योजना के भेद को समाप्त किया गया है। केन्द्र सरकार के द्वारा बजट उपस्थापन की तिथि को Advance किया गया है। हमने भी विगत् वित्तीय वर्ष से ही यह प्रयास शुरू किया था, ताकि समय पर बजट बने, समय पर योजनाएँ स्वीकृत हों तथा समय पर उनका क्रियान्वयन संपन्न हो।

5. **अध्यक्ष महोदय,** आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट की विशेषताओं का उल्लेख करने के पूर्व मैं यह कहना चाहूँगा कि विगत् वर्ष से मैंने बजट घोषणाओं के ATR देने की एक परम्परा की शुरूआत की है, तथा उसे इस वर्ष भी पेश कर रहा हूँ। वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट भाषण में मेरे द्वारा की गईं कुल 172 घोषणाओं में 134 पूर्ण हो चुकी हैं तथा शेष 37 के कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है। यह राज्य की जनता के प्रति हमारी सरकार के उत्तरदायित्व बोध का द्योतक है। गत वर्ष किए गए घोषणाओं पर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन अलग से सदन में प्रस्तुत है।

6. **महोदय,** हमने शासन को पारदर्शी तथा जनता के सरोकार को सर्वोपरि बनाए रखने का प्रयास किया है। गत् वित्तीय वर्ष की भांति इस वर्ष के बजट के निर्माण के क्रम में हमने राज्य के सभी प्रमण्डलों में जाकर समाज के प्रमुख वर्गो से उनकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की और उन्हें इस साल के बजट में समावेशित करने का प्रयास किया है। राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद् तथा राज्य विकास परिषद् की बैठकों में भी माननीय

सदस्यों के बहुमूल्य विचारों से बजट बनाने में काफी सहुलियत हुई है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विभिन्न माध्यमों से कुल 1,005 सुझाव प्राप्त हुए, जिन पर बजट निरूपण में विचार किया गया है। विगत् वर्ष राज्य सरकार द्वारा चार ऐसे सुझावकर्त्ताओं को पुरस्कृत किया गया था, जिनके जनोपयागी सुझावों को चालू वित्तीय वर्ष के बजट में समावेशित भी किया गया है। ऐसा करने का उद्देश्य यह है कि राज्य के बजट को आम जनता **''अपना बजट''** समझे, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में वे भी पर्यवेक्षकीय भूमिकाएँ अदा करें और उन्हें भी अपनी जवाबदेही का एहसास रहे।

7. इन समग्र सफल आयोजनों के लिए मैं राज्य की प्रबुद्ध जनता तथा सचेत प्रशासनिक तंत्र को साधुवाद देता हूँ। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरी सरकार की यह पहल आगामी वर्षों में और सघन होगी। मेरा विश्वास है कि राज्य के सर्वांगीण विकास में इसके परिणाम न केवल दूरगामी अपितु अतुलनीय होगें।

8. **अध्यक्ष महोदय,** इस बार के बजट निर्माण में केन्द्र सरकार के तर्ज पर ही राज्य सरकार ने भी योजना एवं गैर योजना के विभेद को समाप्त कर राजस्व एवं पूंजीगत आधार पर तैयार किया है। सामान्यतः गैर योजना व्यय को आर्थिक दृष्टिकोण से गैर जरूरी मानते हुए इसे कम रखने के प्रयास में पूर्व निर्मित संरचनाओं के अनुरक्षण के लिए आवश्यक राशि के प्रावधान से परहेज किया जाता था, जिसके कारण पूर्व निर्मित योजनाओं का रख–रखाव उपेक्षित होता था। आगामी वित्तीय वर्ष में इस मुख्य कारण से योजना एवं गैर योजना के बीच बजट को वर्गीकृत नहीं किया गया है, बल्कि समस्त बजट को राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय के बीच वर्गीकृत कर प्रस्तुत किया गया है।

9. महोदय, आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए मैं सदन के सामने राज्य का सकल बजट 75,673.42 करोड़ रुपये का अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें राजस्व व्यय के लिए 57,861.32 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत व्यय के लिए 17,812.10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

10. **अध्यक्ष महोदय,** बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाएगा, तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 20,003.72 करोड़ रुपये, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 25,139.88 करोड़ रुपये तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 30,529.82 करोड़ रुपये उपबंधित किए गए है।

11. **अध्यक्ष महोदय,** बजट में प्रावधानित राशि के लिए निधि की व्यवस्था पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। राज्य को **अपने कर–राजस्व से करीब 19,900.50 करोड़ रुपये तथा गैर कर–राजस्व से 11,258.16 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता से करीब 13,414.57 करोड़ रुपये केन्द्रीय करों में राज्यांश से 21,034.19 करोड़ रुपये लोक ऋण से करीब 10,000 करोड़ रुपये तथा उधार एवं अग्रिम की वसूली से करीब 66 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।**

12. **अध्यक्ष महोदय,** अब मैं संक्षेप में सदन को राज्य की आर्थिक स्थिति से अवगत कराना चाहूँगा। वित्तीय वर्ष 2017–18 में **प्रचलित मूल्य** के आधार पर झारखण्ड **राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) दो लाख बिरासी हजार पाँच सौ बहत्तर करोड़ रुपये** (2,82,572 करोड़ रुपये) आकलित किया गया है। यह वर्ष 2016–17 के दो लाख उनचास हजार छः सौ बियालिस करोड़ रुपये (2,49,642 करोड़ रुपये) की तुलना में 13. 19 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। **स्थिर मूल्य** पर राज्य का GSDP वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए **दो लाख छब्बीस हजार पाँच सौ अड़तीस करोड़ रुपये** (2,26,538 करोड़ रुपये) अनुमानित है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के **दो लाख सात हजार आठ सौ निनानवें रुपये** (2,07,899 करोड़ रुपये) की तुलना में 8.96 प्रतिशत अधिक है।

13. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य की राजकोषीय स्थिति से भी सदन को अवगत् कराया जाना समीचीन होगा। राज्य के राजस्व में पूर्व के वर्षों की भाँति चालू वित्तीय वर्ष में भी वृद्धि होने का आकलन है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में गत् वर्ष की तुलना में **नौ हजार**

**आठ सौ एकावन करोड़ (9,851 करोड़ रुपये)** का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

14. आगामी वित्तीय वर्ष 2017—18 में राजकोषीय घाटा 6,947.83 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो कि आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित GSDP का 2.29 प्रतिशत है।

15. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2015—16 में कृषि तथा सम्बद्ध प्रक्षेत्र का योगदान 13.1 प्रतिशत है और इसकी वृद्धि दर 12.6 प्रतिशत है। इस लिहाज से राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देना आवश्यक है। गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, कृषि विकास, ग्रामीण पथों एवं आधारभूत संरचनाओं का निर्माण, सिंचाई सुविधा में विस्तार, अकुशल श्रम शक्ति को प्रशिक्षित कर कुशल श्रम बनाये जाने से ग्रामीण क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्त्तन लाया जा सकता है।

16. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2015—16 में देश की प्रति व्यक्ति आय 93,231 रुपये के विरूद्ध राज्य की प्रति व्यक्ति आय 62,816 रुपये रही है। महोदय, अगर राज्य के सकल घरेलू राज्य उत्पाद के आँकड़ों को देखते है, तो वित्तीय वर्ष 2015—16 में राष्ट्रीय स्तर पर गत् वर्ष की अपेक्षा 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि राज्य में यह वृद्धि 12.1 प्रतिशत की रही है। इस तरह हमारा राज्य वित्तीय वर्ष 2015—16 में राष्ट्रीय औसत से अधिक तीव्रता से विकास कर रहा है। महोदय, यहाँ यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि गत् वर्ष के मुकाबले इस वर्ष औसत से अधिक वर्षा इस राज्य में हुई है, अतः वैश्विक मंदी के बावजूद वर्ष 2016—17 में हमारी प्रगति काफी उत्साहवर्द्धक रहने की संभावना है।

17. **अध्यक्ष महोदय,** बजट गठन के संदर्भ में आप सभी से प्राप्त सुझाव, बजट पूर्व बैठकों के माध्यम से साधा गया राज्यव्यापी सम्पर्क और **''योजना बनाओ अभियान''** के

दौरान किये गये विचारों के आदान–प्रदान से जो साकारात्मक निष्कर्ष निकला है, उसीके पृष्ठभूमि में सरकार अगले वित्तीय वर्ष के लिए गठित बजट में कतिपय प्रक्षेत्रों में विशेष फोकस करने का प्रयास करेगी। विशेष फोकस के प्रक्षेत्र निम्न हैं :–

- **कृषि, पशुपालन, सहकारिता एवं सिंचाई के माध्यम से ग्रामीणों की आय दो गुणा करना,**
- **महिलाओं में सहकारिता तथा उद्यमिता को विकसित कर सखी मण्डलों के माध्यम से उन्हें स्वावलम्बी बनाना,**
- **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति तथा अल्पसंख्यकों का समग्र विकास,**
- **शिक्षा, शैक्षणिक गुणवत्ता एवं कौशल विकास,**
- **स्वास्थ्य,**
- **आधारभूत संरचना का विकास तथा 24x7 विद्युत व्यवस्था,**
- **उद्योग एवं श्रम सुधार,**
- **पेयजल एवं स्वच्छता,**
- **नगरीय संरचना में अभिवृद्धि,**
- **प्रशासन के हरेक पहलू में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त एवं जनभागीदारी सुनिश्चित करना,**
- **राज्य की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण,**
- **विधि व्यवस्था।**

18. राज्य की लगभग 76 प्रतिशत जनता गाँवों में रहती है, जो कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों पर ही आर्थिक रूप से आश्रित है। राज्य की इस 80 प्रतिशत जनता की आय 3 वर्षों में

दोगुनी करना हमारा लक्ष्य है। कृषि, पशुपालन, सहकारिता, गव्य, मत्स्य, लाह, तसर, मुर्गी पालन, अण्डा उत्पादन, हस्तशिल्प, ऊर्जा एवं सिंचाई प्रक्षेत्रों को समेकित रूप से अभिषरित करते हुए पहली बार वित्तीय वर्ष 2016–17 में अलग से कृषि बजट की परिकल्पना की गई थी। **कृषि, पशुपालन, सहकारिता, जल संसाधन तथा इससे सीधे जुड़ी मांगों के तहत कृषि एवं संबद्ध कार्यों को समेकित करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में कृषि बजट 5,375.22 करोड़ रूपये का अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के 4,845.72 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान की तुलना में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित ''कृषि बजट'' में 12 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है।** वर्ष 2017–18 का ''कृषि बजट'' सदन में संदर्भित मांग पर चर्चा के दिन प्रस्तुत किया जाएगा।

19. राज्य की आधी आबादी महिलाओं की है और झारखण्ड की महिलाओं की क्षमता पर हम सबको नाज़ है। **हमारी सरकार ने राज्य की महिलाओं के विकास, विशेष रूप से सखी मण्डलों को सशक्त और जीवन्त संस्था के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इन सखी मण्डलों के माध्यम से राज्य में उपयोग किए जानेवाले अण्डा, सब्जी, दूध, चादर, तौलिया, स्कूली गणवेश, हस्तशिल्प, तसर एवं लाह पर आधारित उत्पादों को स्केल–अप करके उनका स्थानीय बाजार में विपणन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि इन्हीं के द्वारा उत्पादित वस्तुएँ राज्य के स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों एवं बाजारों में बेची जा सके और इन सखी मण्डल के सदस्यों के आय में दुगूनी से ज्यादा वृद्धि की जा सके। महिलाओं के कल्याणार्थ राज्य में महिला आधारित कार्यक्रमों को समेकित कर वर्ष 2017–18 के लिए तैयार किया गया है। वैसे कार्यक्रमों, जिनमें लिंग आधारित वर्गीकरण का प्रावधान किया गया है, के लिए कुल बजटीय उपबंध 16,384.23 करोड़ रुपये है, जिसमें से कुल 213 योजनाओं के माध्यम से 7,684.**

**51 करोड़ रूपये का जेन्डर बजट तैयार किया गया है, जो चालू वित्तीय वर्ष 5,908.99 करोड़ रूपये की तुलना में 30.05 प्रतिशत की वृद्धि** है। महिला एवं बाल विकास विभाग के मांगों पर विस्तृत चर्चा के दिन इसे सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

20. झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की संख्या काफी है और इनके विकास के लिए अलग से रणनीति विकसित किए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार इन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु कृत संकल्प है। इस वर्ष हमने जनजातीय क्षेत्रों एवं अनुसूचित जातियों के विकास पर विशेष बल दिया है और इस प्रक्षेत्र पर किए जाने वाले बजटीय प्रावधानों को अलग से संकलित करके **अलग ''अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति विकास बजट'' इस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा।** राज्य में विकास से संबंधित विभिन्न स्कीमों, जिनमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्र एवं अनुसूचित जातियों के विकास का वर्गीकरण संभव है, के लिए कुल प्रावधानित राशि 43,020 करोड़ रुपये होती है, जिसमें से अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए 18,026 करोड़ रुपये (42 प्रतिशत) कर्णांकित है। यह चालू वित्तीय वर्ष में 17,107 करोड़ रुपये की तुलना में 919 करोड़ रुपये अधिक है। इसी तरह अनुसूचित जातियों के विकास के लिए वर्ष 2017—18 में 4,233 करोड़ रुपये (10 प्रतिशत) व्यय किए जाने का प्रस्ताव है, जो कि चालू वित्तीय वर्ष में 3,520 करोड़ रुपये की तुलना में 713 करोड़ रुपये अधिक है। इस तरह अनुसूचित जनजाति क्षेत्र एवं अनुसूचित जाति विकास बजट का कुल आकार 22,259 करोड़ रुपये होती है, जो स्कीमों के लिए निर्धारित कुल बजटीय का 51.5 प्रतिशत है। कल्याण विभाग के मांगों पर विस्तृत चर्चा के दिन **अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति विकास बजट** सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही, इसके कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी के अन्तर्गत अलग सेल का गठन भी किया जाएगा।

## कृषि, पशुपालन, सहकारिता एवं सिंचाई सुविधा के विकास से ग्रामीणों की आय दो गुणी करना

21. **अध्यक्ष महोदय,** इस वर्ष प्रकृति ने राज्य पर अपना आर्शीवाद दिया है और प्रचुर मात्रा में वर्षा हुई है। धान की पैदावार अच्छी होने की संभावना है। जल संचयन के क्षेत्र में पिछले वर्ष कई नई योजनाएँ चलायी गई थी, जिनमें डोभा निर्माण तथा तालाबों का गहरीकरण सम्मिलित है, उसके भी अच्छे परिणाम आयें है। आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य द्वारा **चार लाख डोभा का निर्माण किया जाएगा और कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा सरकारी एवं निजी तालाबों के गहरीकरण की योजना चालू रखी जाएगी। जल संसाधन विभाग द्वारा भी पुराने 345 बड़े तालाबों के गहरीकरण का कार्य किया जाएगा।**

22. विभिन्न बजट पूर्व संगोष्ठियों में कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन के उद्देश्य से **कोल्ड स्टोरेज** के निर्माण की मांग सामने आयी। इसे देखते हुए चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकतानुसार देवघर, गुमला, गिरिडीह एवं राँची में **शीत गृह निर्माण** की स्वीकृति दी जा चुकी है। **अगले वित्तीय वर्ष में इसे आवश्यकतानुसार अन्य 10 जिलों में भी प्रारम्भ किए** जाने के लिए राशि की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इन शीत गृहों का संचालन स्थानीय लाभुक समितियों के द्वारा कराया जाएगा।

23. कृषि एवं संबंद्ध प्रक्षेत्र से संबंधित सभी सुविधाएँ एक स्थान से उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2016–17 में कृषि सिंगल विण्डो सेंटर की परिकल्पना की गई थी। **पूरे देश में झारखण्ड पहला राज्य है, जहाँ कृषि सिंगल विंडो की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा किया गया।** वित्तीय वर्ष 2016–17 में 66 कृषि सिंगल विण्डो सेंटर की स्थापना की गई है। आगामी दो वर्षो में क्रमवार **सभी प्रखंड मुख्यालयों में कृषि**

**सिंगल विण्डो सेंटर की स्थापना का लक्ष्य है।** वर्ष **2017–18 में सौ नए कृषि सिंगल विण्डो सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव है।**

24. समय पर किसानों को खाद एवं बीज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए सभी **लैम्पस एवं पैक्स को सुदृढ़ किया जाएगा एवं आवश्यकतानुसार उनके लिए गोदामों का निर्माण की योजना** चालू रखी जाएगी। राज्य में कुल 2,041 लैम्पस एवं 2,353 पैक्स का निबंधन किया गया है। परन्तु, आवश्यक आधारभूत संरचना के अभाव में सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पा रहा है। लैम्पस/पैक्स के सुचारू संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य में कार्यरत सभी लैम्पस/पैक्स में एक कार्यालय–सह–गोदाम का निर्माण प्रस्तावित है। **वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त योजना हेतु 140 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।**

25. कृषि प्रक्षेत्र में लघु एवं सीमान्त कृषकों के परिप्रेक्ष्य में साख की उपलब्धता महत्वपूर्ण हो जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड सहित अल्प अवधि कृषि ऋण के माध्यम से कृषकों को कृषि ऋण उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रसंग में कृषि ऋण के भुगतान में अतिरिक्त **तीन प्रतिशत का इन्टरेस्ट सबभेन्सन** का प्रस्ताव है। इस योजना अन्तर्गत वैसे कृषक आच्छादित होगें जो ससमय एवं निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कृषि ऋण की वापसी करते है। इन्टरेस्ट सबभेन्सन लागू होने पर कृषकों को एक प्रतिशत ब्याज का ऋण भार होगा। **इस योजना के तहत 20 करोड़ रुपये की राशि की बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।**

26. कृषि उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने हेतु **ग्रामीण कृषि हाट का निर्माण** प्रस्तावित है।

27. कृषि एवं सम्बद्ध प्रक्षेत्रों की गुणात्मक शिक्षा व्यवस्था, अनुसंधान के उद्देश्य से

**संथाल परगना प्रमंडल हेतु गोड्डा जिले में ''कृषि विश्वविद्यालय'' की स्थापना** प्रस्तावित है।

28. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची में वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में **नये पाठयक्रम आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है**।

29. राज्य के सभी 24 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र, कृषकों को सेवाएँ उपलब्ध करा रहे है। राज्य के वैसे 19 अनुमंडल, जो जिला मुख्यालय में नहीं है, में **अनुमण्डल स्तरीय कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया** जाना प्रस्तावित है। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 में सम्पन्न किया जायेगा।

30. राज्य के विभिन्न जिलों के भौगोलिक स्थिति, वर्षापात की स्थिति, मिट्टी एवं मौसम को दृष्टिपथ रखते हुए **जिलावार विशिष्ट फसल के विस्तार की योजना** प्रस्तावित है।

31. कृषकों के साथ सीधा संवाद, उनके प्रशिक्षण एवं नवीन तकनीक की जानकारी हेतु राज्य के **प्रत्येक पंचायत में किसान पाठशाला का आयोजन** प्रस्तावित है।

32. वित्तीय वर्ष 2016–17 में एक हजार महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि उपकरण बैंक के स्थापना हेतु अनुदान दी गई है। इस क्रम में वित्तीय वर्ष 2017–18 में शेष **पंचायत मुख्यालयों में कृषि उपकरण बैंक की स्थापना** प्रस्तावित है।

33. राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में सिंचाई कूप, तालाब, आहर का निर्माण किया गया है। सिंचाई स्रोतों से सिंचाई सुविधा के विस्तार हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में बीस हजार पम्प सेटों का वितरण मनरेगा सिंचाई कूप से आच्छादित लघु एवं सीमान्त कृषकों के बीच किया गया है। **वित्तीय वर्ष 2017–18 में ऐसे पचीस हजार कृषकों को सिंचाई सुविधा के विस्तार हेतु पम्प सेट उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित** है।

34. पाँच एकड़ से कम क्षेत्रफल के तालाबों का मशीन द्वारा जीर्णोद्धार योजना के तहत वर्ष 2016–17 में दो हजार तालाब निर्माणाधीन है। लगभग छः सौ तालाबों का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण है। **वित्तीय वर्ष 2017–18 में दो हजार ऐसे तालाबों का गहरीकरण एवं जीर्णोद्धार मशीन द्वारा किया जाना** प्रस्तावित है। इससे वर्षाजल के संग्रहण में अपेक्षित सफलता मिलेगी।

35. राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखण्ड जैविक कृषि प्राधिकार के माध्यम से **चयनित जिलों में जैविक प्रमाणीकरण की योजना** प्रस्तावित है। इसके तहत तीन वर्षो में चयनित क्षेत्र को उपचार कर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना प्रस्तावित है।

36. राज्य में श्वेत क्रांति के माध्यम से किसानों की आय सम्वर्द्धन की योजना आगे भी जारी रहेगी। इसी क्रम में आगामी वित्तीय वर्ष में **जमशेदपुर एवं गिरिडीह जिले में 50,000 लीटर क्षमता का डेयरी प्लान्ट की स्थापना** प्रस्तावित है।

37. दूग्ध पथों पर अवस्थित ग्रामों के पशुपालकों के दुधारू पशुओं के समुचित पशु चिकित्सा हेतु **झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के नियंत्रण में चलन्त पशु चिकित्सा सेवा** उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

38. राज्य में पशुपालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **पशुपालक पुरस्कार योजनाओं** का कार्यान्वयन प्रस्तावित है।

39. राज्य में अण्डा उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान पर **वाणिज्यिक लेयर बर्ड तथा कम लागत लेयर बर्ड का वितरण** प्रस्तावित है।

40. मत्स्य पालकों को गत वित्तीय वर्ष **वेदब्यास आवास योजना** के तहत 2,262 पक्का आवास निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था, अगले वित्तीय वर्ष में इसी तरह 3,000 अतिरिक्त इकाईयों के निर्माण का प्रस्ताव है।

41. मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए **पुराने जलाशयों के जीर्णोद्धार** के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में समुचित राशि का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में मैं सदन को यह बताना चाहूँगा कि राज्य में मछली की कुल मांग 1.40 लाख मीट्रिक टन के विरूद्ध राज्य में दिसम्बर माह तक 1.04 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हो चुका है। **अगले वर्ष से राज्य में बाहर से मछलियों का आयात पूर्णतः समाप्त हो जाएगा।**

42. गैर **ऊर्जान्वित क्षेत्रों में कृषि सिंचाई के लिए सोलर पम्प आधारित पम्पिंग सेट** वितरण के लिए ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत पर्याप्त राशि की व्यवस्था की गई है।

43. झारखण्ड राज्य अन्तर्गत गढ़वा एवं पलामू जिले सूखाग्रस्त क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कई जलाशयों का निर्माण तो किया गया, परन्तु इनमें जल का ठहराव नहीं हो सका। इन जलाशयों में यदि जल उपलब्ध करा दिया जाय, तो इससे न केवल कृषि क्षेत्र को लाभ होगा, अपितु पेयजल की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो जायेगी तथा इस क्षेत्र में बार–बार पड़ने वाले सुखाड़ पर भी प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकेगा। इस क्षेत्र में सिंचाई हेतु 64.44 एम०सी०एम० एवं पेयजल हेतु 5.57 एम०सी०एम० अतिरिक्त जल की आवश्यकता का आकलन किया गया है। इस आवश्यकता को पूरा करने हेतु **कनहर एवं सोन नदियों से पाईप लाईन के द्वारा पानी की आपूर्त्ति कर इस क्षेत्र के निर्मित जलाशयों, बड़े तालाबों एवं अन्य जल निकायों को पूर्ण जल उपलब्ध कराने की योजना** बनायी गयी है। प्रारम्भिक योजना प्रतिवेदन के अनुसार इस योजना की लागत 984.19 करोड़ रुपये आकलित की गयी है। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार होने के उपरान्त इसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रारम्भ किये जाने की कार्य योजना है।

44. मध्यम सिंचाई की 102 पूर्ण की गयी योजनाओं की रूपांकित सृजित सिंचाई क्षमता 2,18,151 हेक्टेयर के सापेक्ष मात्र 82,065 हेक्टेयर क्षेत्र में ही सिंचाई सुविधा

उपलब्ध हो रही थी। इस प्रकार, पूर्ण की गई योजनाओं की 1,36,086 हेक्टेयर क्षमता ह्रासित हो गई थी, जिसके कारण पूर्ण की गई योजना का पूरा लाभ कृषकों को नहीं मिल पा रहा था। ERM योजनान्तर्गत वर्त्तमान में 55 योजनाओं के पुनर्स्थापन/सुदृढीकरण कार्य हेतु DPR तैयार की जा रही है। इनमें से 10 अदद् योजनाओं के ERM कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, निविदा आमंत्रण प्रक्रियाधीन है। इन योजनाओं का कार्य इस वर्ष प्रारम्भ कर जून 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। शेष **45 अदद् योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर वर्ष 2017–18 में इनके ERM कार्य प्रारम्भ कर अगले दो वित्तीय वर्षों तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। योजनाओं के ERM कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए 310 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।**

45. राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित रिवर बेसिनों में जल की अद्यतन उपलब्धता, विकास तथा प्राकृतिक संतुलन के साथ इसके बहुआयामी उपयोग एवं कुशल प्रबंधन के लिये विस्तृत रणनीति तैयार करने हेतु **प्रथम झारखण्ड सिंचाई आयोग गठित किया गया** है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में यह आयोग क्रियाशील हो जायेगा।

46. लघु सिंचाई परिक्षेत्र अन्तर्गत **500 चेक डैम/श्रृखंलाबद्ध चेक डैम की प्रशासनिक स्वीकृति** 341 करोड़ रुपये की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इन योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रारम्भ कर लगभग 40% पूरा किये जाने की कार्य योजना है। इन योजनाओं से 29,570 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उपलब्ध करायी जायेगी।

47. लघु सिंचाई परिक्षेत्र अन्तर्गत **1,834 पुरानी योजनाओं के जीर्णोद्धार की रूपरेखा (Profile) तैयार** कर ली गयी है। इनमें से 300 योजनाओं का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार कर लिया गया है, जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर इन योजनाओं को वर्ष 2017–18 में प्रारम्भ कर लगभग 40% पूरा किये जाने की कार्य योजना है।

# <u>ग्रामीण विकास</u>

48. **महोदय, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के क्रियान्वयन** की प्रक्रियाओं में सुधार लाकर जहाँ इसे एक ओर ज्यादा पारदर्शी, समतामूलक एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था अनुकूल करने की चेष्टा की गई है, वहीं पंचायतों, महिलाओं इत्यादि की सहभागिता वृद्धि के लिए विशिष्ट उपाय किये गये हैं। इसके माध्यम से **दिसम्बर, 2016 तक 519 लाख मानव दिवस सृजन किये गये हैं, जो किसी भी वित्तीय वर्ष के प्रथम नौ महीनों में सृजित किया गया सर्वाधिक मानव दिवस है,** जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। अगले वर्ष भी महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम योजना तहत क्रियान्वयन की रफ्तार बनायी रखी जाएगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा एवं गरीबी दूर करने के प्रयासों को गति दी जा सकेगी।

49. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य में जल संरक्षण की क्षमता बढ़ाने हेतु लगभग दो लाख डोभे निर्मित किये जा चुके हैं, जबकि इस वर्ष के बचे तीन महीनों में दो लाख और डोभा के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। आगामी वर्ष में चार लाख डोभे और निर्मित कराये जाने का लक्ष्य भी रखा गया है। **इन डोभों से सिंचाई के अतिरिक्त सब्जी उत्पादन, मछली पालन एवं वृक्षारोपण इत्यादि के माध्यम से लाभुकों की आय बढ़ा कर गरीबी में कमी लायी जा सकेगी।**

50. **ग्रामीण संगठनों को पंचायत भवनों में कमरा उपलब्ध कराया जाएगा**, ताकि वे अपना कार्य सुचारू रूप से संचालित कर सकें।

51. राज्य में गरीबी उन्मूलन के लिए कृषि एवं आनुषंगिक क्षेत्रों में मूल्य संवर्द्धन की बड़ी संभावनाएँ हैं। इस निमित्त उत्पादकों के संगठन तैयार कर उन्हें नयी तकनीकों से

अवगत कराने, उनके प्रसंस्करण एवं विपणन की व्यवस्था करने इत्यादि कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा **विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए ''जोहार'' नाम की परियोजना गठित की जा रही है।** जिन प्रखण्डों में पहले से सखी मण्डलों एवं उनके उच्चत्तर संगठनों का निर्माण किया जा चुका है, वहाँ प्रथम चरण में उच्च संभावनाओं वाले क्षेत्रों यथा उच्च मूल्य वाली खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, वृक्ष रोपण इत्यादि चुन कर वहाँ उपर्युक्त कार्य किये जाएंगे। **वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस परियोजना की विश्व बैंक से स्वीकृति प्राप्त कर क्रियान्वयन प्रारंभ करने की कार्रवाई की जाएगी।**

52. ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के आवास की अब भी कमी है। 2011 में की गई सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना में यह पाया गया कि **अभी 15 लाख ऐसे ग्रामीण परिवार हैं, जो या तो आवासहीन** हैं अथवा एक या दो कमरों के कच्चे घरों में रहते हैं। राज्य सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि **वित्तीय वर्ष 2019–20 तक प्रत्येक एक कमरे के कच्चे मकान वाले परिवार को पक्के आवास उपलब्ध करा दें।** इस निमित्त दिसम्बर, 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण शुरू की गई है। इसके अंतर्गत 25 वर्ग मीटर के घर निर्माण हेतु पहाड़ी/I.A.P. जिला के लिए 1,30,000 एवं अन्य जिलों के लिए 1,20,000 रूपये की लागत स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त मनरेगा से अभिषरण के माध्यम से शौचालय एवं मजदूरी के बाबत मजदूरी की क्षतिपूर्त्ति के रूप में राशि उपलब्ध करायी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 1.64 लाख घर स्वीकृत किये जा रहे हैं, **जबकि वित्तीय वर्ष 2017–18 में 1.58 लाख अतिरिक्त आवास निर्मित कराये जाएंगे।**

53. विकास को सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा **ग्रामीण क्षेत्र में सम्पर्क बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य** किये जा रहे हैं। चूँकि ग्रामीण सम्पर्क का

उन क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता, कृषि एवं गैर कृषि उत्पादों के विपणन एवं अर्थव्यवस्था में सुधार एवं जीवन स्तर में वृद्धि से सीधा संबंध है। अब तक विभिन्न योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 30 हजार कि०मी० सड़कें बनायी जा चुकी हैं, किन्तु मरम्मति/जीर्णोद्धार के अभाव में वे सड़कें भी धीरे–धीरे खराब हो रही हैं। **ग्रामीण पथों के अनुरक्षण की माँग विभिन्न स्तरों पर जन प्रतिनिधियों द्वारा उठायी जाती रही हैं। जीर्णोद्धार के कार्य को और तेज कर यातायात में सुधार हेतु अगले वर्ष 325 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है।**

54. **प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से 6,000 कि०मी० पथों का निर्माण करा कर 4,100 बसावटों को जोड़ा जाएगा, जबकि राज्य संपोषित योजना के माध्यम से लगभग 2,000 कि०मी० नये ग्रामीण पथ निर्मित कराये जाएंगे।**

55. वर्ष 2016–17 में 129 लम्बे पुलों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जबकि अब तक कुल 50 पुलों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। अगले वर्ष **150 लम्बे पुलों का निर्माण कराया जाएगा**।

## महिला सशक्तिकरण

56. **महिलाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक–आर्थिक विकास एवं सामाजिक सुरक्षा इत्यादि के क्षेत्रों में सखी मण्डल महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं।** झारखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 54,000 सखी मण्डल, 2,300 ग्राम संगठन एवं 95 संकुल स्तरीय फेडरेशन हैं, जिनके माध्यम से सम्प्रति आपसी ऋण लेन–देन एवं लघु व्यवसाय वृद्धि को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब इन्हें और भी संगठित कर विभिन्न रोजगार मूलक कार्यों यथा–मसाला उत्पादन, मुर्गी पालन, डेयरी उत्पादन, बकरी पालन

एवं कुटीर उद्योग से जोड़ने के प्रयास भी चलाये जा रहे हैं। सखी मण्डलों के संकुल स्तरीय संगठन इस व्यवस्था की प्रमुख कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। संकुल स्तरीय संगठनों के माध्यम से नये सखी मण्डलों के निर्माण, निरंतर प्रशिक्षण, रोजगारमूलक कार्यों का संगठन इत्यादि कराया जाता है। अतएव, **संकुल स्तरीय संगठनों के भी आगामी वित्तीय वर्ष में क्षमतावर्द्धन का प्रस्ताव है।**

57. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम का विस्तार 200 प्रखण्डों तक आच्छादन कर वर्ष 2017–18 तक **1,21,000 सखी मण्डलों, 6,000 ग्राम संगठनों एवं 320 संकुल स्तरीय संगठनों का गठन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उद्यमी सखी मंडल का गठन कर गांवों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।**

58. महिलाओं के आर्थिक स्तर को सुदृढ़ करने के लिए दो गायों की योजना पिछले वर्ष से चालू है। आगामी वित्तीय वर्ष में **5,000 बी०पी०एल० महिलाओं को 90 प्रतिशत अनुदान पर दुधारू गाय वितरण** किया जाना प्रस्तावित है।

59. कुल **4 लाख परिवारों को विभिन्न रोजगारमूलक गतिविधियों** यथा–सब्जी उत्पादन, लाह उत्पादन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, लघु कुटीर उद्‌योग इत्यादि से जोड़ा जाएगा।

60. राज्य के सभी प्रखण्डों में **सखी मण्डलों को समान दर पर ऋण** उपलब्ध कराया जाएगा।

61. सखी मण्डलों के **संकुल स्तरीय संगठनों के अपने परिसर निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा एक नयी योजना** प्रारंभ किये जाने का प्रस्ताव है, जिसके अंतर्गत 10 करोड़ रूपयों का उपबंध प्रस्तावित है।

62. अध्यक्ष महोदय, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति राज्य सरकार संवेदनशील है।

झारखण्ड में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत अन्य राज्यों की अपेक्षा शहरों के साथ–साथ गांवों में भी काफी है। पालना घर की योजना राज्य सरकार वर्ष 2017–18 में लागू करेगी, जिसके अन्तर्गत **प्रत्येक प्रखण्ड में कम–से–कम एक पालना घर का संचालन** सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए राजीव गांधी क्रेच योजना से प्राप्त धनराशि का भी उपयोग किया जाएगा।

63. आंगनबाड़ी केन्द्र प्रत्येक टोलों में राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में कार्य करती है, जो उस टोले के महिलाओं एवं बच्चों के विकास पर केन्द्रित है। इसे अधिक स्वास्थ्यकर एवं पर्यावरण के दृष्टिकोण से उत्तम बनाने के उद्देश्य से **सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में LPG कनेक्सन तथा चूल्हा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।**

64. मैंने पूर्व में ही कहा है कि सखी मण्डलों को सशक्त बनाया जाएगा। संकुल स्तर पर इन सखी मण्डलों का वृहद् प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होता है, अतः **राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक संकुल स्तर के सखी मण्डलों को LPG कनेक्सन तथा चूल्हा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।**

65. **अध्यक्ष महोदय,** सखी मंडलों को प्रोत्साहित करने एवं बिना नकद लेन–देन को सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाने के उद्देश्य से राज्य के **एक लाख सखी मंडलों को एक–एक स्मार्ट फोन वितरित करने का प्रस्ताव है।**

66. मानव तस्करी की शिकार महिलाओं के कल्याणार्थ केन्द्र सरकार की योजना **''उज्जवला''** राज्य में प्रारम्भ की जाएगी।

67. राज्य के सभी जिलों में कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना के उद्देश्य से आगामी वित्तीय वर्ष में **दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, देवघर, चाईबासा एवं**

**पलामू में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण कराया जाएगा।**

68. **दिव्यांगों की सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान एवं सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भी आवश्यक कदम उठाए जायेंगे।**

## अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति तथा अल्पसंख्यकों का समग्र विकास

69. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य की अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जाति का विकास सरकार की सदैव प्राथमिकता रही है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र–छात्राओं को बैंकों के माध्यम से **सुगमता पूर्वक शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा गारंटी प्रदान की जाएगी। इस हेतु राज्य में पहली बार ''मुख्यमंत्री शिक्षा ऋण गारंटी फंड'' का गठन किया जाएगा।** वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त मद हेतु 50 करोड़ रुपये राशि का बजटीय प्रावधान किया गया है।

70. झारखण्ड राज्य के **वीर सपूतों यथा बिरसा मुण्डा सिद्धु–कान्हू एवं अन्य शहीदों के ग्रामों में बेहतर सुविधा** उपलब्ध कराने एवं उनके जन्म भूमि को विकसित करने के निमित वित्तीय वर्ष 2017–18 में 30 करोड़ रुपये राशि का बजटीय प्रावाधान किया गया है।

71. राज्य में राँची, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, खूँटी, चतरा एवं लातेहार जिलों में टाना भगत आवासीत है। जमीन्दारों एवं बिट्रिश शासन के विरूद्ध इनके द्वारा की गई कार्रवाई में इनके महत्वपूर्ण योगदान एवं आज भी महात्मा गांधी के विचारों के अन्तर्गत जीवन निर्वाह करने को ध्यान में रखते हुए इनके सर्वागीण विकास हेतु **राज्य में पहली**

**बार ''टाना भगत विकास प्राधिकार'' गठित किया जाएगा। इस हेतु 10 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।**

72. **सरना–मसना घेराबंदी योजना मद में वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजटीय प्रावधान में (कुल 44 करोड़ रुपये की राशि) दो गुणी राशि की वृद्धि** की गयी है। **योजना निर्माण के कार्यान्वयन में परम्परागत प्रधान, मानकी मुण्डा एवं मांझी की अध्यक्षता में गठित सरना–मसना समिति ही योजना का कार्यान्वयन करे।**

73. आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 **में आदिम जनजाति परिवारों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न पैकेट में उनके घर के दरवाजे पर उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।** इसे पी०टी०जी० **''डाकिया योजना''** के नाम से बजट में प्रावधान किया गया है।

74. आवासीय विद्यालय में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के बच्चों पर व्यय मानक को बढ़ा कर इसे सामान्य विद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में तार्किक बनाया जाएगा।

75. कल्याण विभाग के विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र–छात्राओं को विद्यालयों में गुणात्मक सुधार हेतु किए जाने वाले व्यय में अभिवृद्धि का प्रस्ताव है।

76. आदिवासी छात्रों के विद्यालयों का Dropout रोकने के निमित्ति कल्याण विभाग अन्तर्गत आवासीय विद्यालयों के 65 विद्यालयों को अगले शैक्षणिक सत्र से उत्क्रमण का प्रस्ताव है।

77. **अध्यक्ष महोदय,** इसी क्रम में मैं राज्य की परम्परागत मानकी मुण्डा व्यवस्था के तरफ आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, जिसमें मानकी, मुण्डा, ग्राम प्रधान एवं

डाकुआ द्वारा राजस्व संग्रहण एवं विधि—व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय शासन का सहयोग किया जाता है। महोदय, सरकार सबका साथ सबका विकास के नीति पर चलते हुए आज यह **प्रस्ताव करती है कि इनके मासिक सम्मान राशि में वृद्धि करते हुए मानकी को सम्मान राशि 3,000/— रुपये, मुण्डा को 2,000/— रुपये, ग्राम प्रधान को 2,000/— रुपये तथा डाकुआ को 1,000/— रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया जाए।**

78. अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ स्कीम मद में लगभग 107 करोड़ रुपये राशि का बजटीय प्रावधान किया गया है।

79. इस श्रेणी के लाभुकों के लिए **मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दिए जाने वाले लाभों के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में दो गुणी राशि का प्रावधान किया गया है।**

80. **राज्य के हज यात्रियों की सुविधा के लिए राँची में 65.70 करोड़ की लागत से हज हाउस निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। राँची के डोरण्डा में मुसाफिर खाना के निर्माण का प्रावधान किया गया है।**

## शिक्षा, शैक्षणिक गुणवत्ता एवं कौशल विकास

81. झारखण्ड राज्य को समृद्ध राज्य में विकसित करने हेतु शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इस हेतु शिक्षा पर वर्त्तमान सरकार की प्राथमिकता है तथा राज्य सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न सकारात्मक कदमों का ही परिणाम है कि **विगत् एक वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा GER (Gross Enrolment Ratio) 98.09 से बढ़कर 100.09 हो गया है। हम लगातार प्रयासरत हैं कि भारत के शैक्षिक मानचित्र पर झारखण्ड का अपना सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त हो।**

82. शिक्षा की कल्पना शिक्षकों के बिना नहीं की जा सकती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु छात्र के अनुपात में शिक्षकों की उपलब्धता आवश्यक है। राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु 16,349 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है। उच्च विद्यालयों में भी 1,719 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है।

83. **उच्च विद्यालयों में 17,790 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित कर आवेदन पत्र प्राप्त करना प्रारम्भ कर दिया गया है। साथ ही +2 विद्यालयों हेतु भी 513 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हेतु भी विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है।**

84. उच्च विद्यालयों में 638 प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है तथा 638 प्रधानाध्यापक के पदों पर प्रोन्नति की कार्रवाई भी की जा रही है।

85. शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक की उपलब्धता के साथ–साथ विद्यालय की सुविधा जन–जन को निर्धारित दूरी पर उपलब्ध हो, इस हेतु हमारी सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 189 मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करते हुए, दुर्गम क्षेत्रों में उच्च विद्यालय की सुविधा प्राप्त करायी गयी। +2 विद्यालय की कमी को देखते हुए 280 उच्च विद्यालयों को +2 विद्यालयों में उत्क्रमित किया गया है। **आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 में 189 उच्च विद्यालयों में 2079 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के पद तथा 280 +2 विद्यालयों में 3,080 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के पद सृजित किये जायेंगे। साथ ही 3,583 प्रारम्भिक विद्यालयों में 10,749 शिक्षकों के पद सृजित किये जायेंगे। उक्त कार्रवाई से स्कूली शिक्षा की उपलब्धता सुगमतापूर्वक प्राप्त तो होगी ही, साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में भी विकास होगा।**

86. **विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता भी आवश्यक है। हमारी सरकार प्रत्येक विद्यालय को बेंच–डेस्क की सुविधा उपलब्ध करा रही है। आगामी 2 वर्षों में सभी विद्यालयों में बिजली की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।** इसके अतिरिक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर आदि की सुविधा चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध करायी जा रही है। अतिरिक्त वर्ग कक्ष की उपलब्धता भी सुनिश्चित करायी जा रही है। आगामी वित्तीय वर्ष में विद्यालयों में पेयजल के साथ–साथ शौचालय आदि के लिये पानी (Running Water) की व्यवस्था की जा रही है। **मध्याह्न भोजन योजना हेतु प्रत्येक विद्यालय में एल०पी०जी० गैस की व्यवस्था की जा रही है।**

87. ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराना हमारी प्रतिबद्धता है। **चरणबद्ध तरीके से आगामी तीन वर्षों में सभी पंचायतों में ग्रामीण पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी।**

88. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के तहत **नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट/इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, हजारीबाग की तर्ज पर दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, कोल्हान प्रमण्डल एंव संथाल परगना प्रमण्डल में एक–एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की जायेगी। साथ ही इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय को +2 विद्यालय में भी उत्क्रमण किया जायेगा।** साथ ही, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा/नैतिक शिक्षा/सामान्य ज्ञान/Spoken English की व्यवस्था की जा रही है।

89. महोदय, वृद्ध जनों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सफल रही है। उसी तर्ज पर आगामी वित्तीय वर्ष से माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के **छात्र–छात्राओं को राज्य के बाहर शैक्षणिक भ्रमण कराने की योजना** है, जिसे **"मुख्यमंत्री**

**शैक्षणिक भ्रमण योजना''** कहा जाएगा।

90. **राज्य सरकार द्वारा कक्षा–1 से कक्षा–5 तक की अपनी पाठ्य पुस्तकें तथा कक्षा–1 एवं कक्षा–2 के लिये 5 जनजातीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें तैयार कर छात्र–छात्राओं में वितरित किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 में कक्षा–6 से कक्षा–8 तक की अपनी पाठ्य पुस्तकें तथा बंगला एवं उड़िया भाषा में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की योजना है।**

91. शिक्षा रोजगारपरख हो, इस हेतु अभी तक 160 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को लागू किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा को चरणबद्ध तरीके से सभी माध्यमिक विद्यालयों में लागू करने की योजना है।

92. राज्य के बच्चे तकनीकी संस्थानों (Engineering & Medical Colleges) में सफलता प्राप्त कर सकें, इस हेतु **''आकांक्षा कार्यक्रम''** लागू किया गया है। **आकांक्षा कार्यक्रम के तहत बच्चों को कोचिंग की व्यवस्था के साथ–साथ कैरियर काउन्सलिंग भी कराया जा रहा है।** अभी तक यह कार्यक्रम कक्षा–11 एवं कक्षा–12 के छात्र–छात्राओं हेतु लागू है। **आगामी वित्तीय वर्ष से इसे कक्षा–9 तथा कक्षा–10 में लागू करने की योजना है।**

93. विद्यालयों के Real Time Monitoring तथा बच्चों के Learning Level की Tracking हेतु **"ई. विद्यावाहिनी"** कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। **इस कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक सरकारी विद्यालयों को एक–एक टेबलेट दिया जायेगा।**

94. **अध्यक्ष महोदय,** उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गत वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय तथा तीन नये निजी विश्वविद्यालय यथा – अमिटी,

प्रज्ञान तथा आईसेट निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2017–18 में झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, राँची विश्वविद्यालय तथा नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय का कैम्पस निर्माण किया जायेगा।

95. **कोयलाचंल क्षेत्र के चिर–परिचित मांग को देखते हुए बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना आगामी वित्तीय वर्ष में की जाएगी। राँची महाविद्यालय को उत्क्रमित कर विश्वविद्यालय बनाने एवं पुनः तीन नये निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।** यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि उच्च शिक्षा प्रक्षेत्र के लिए चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में वार्षिक उद्व्यय लगभग दोगुनी कर दी गई है।

96. महोदय, **बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु भी प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है, भारत सरकार से स्वीकृति के उपरान्त इसे प्रारम्भ किया जाएगा। मध्यप्रदेश (अमर कंटक) में स्थापित इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की तर्ज पर झारखण्ड में वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा।**

97. राज्य का उच्च शिक्षा का GER दो वर्षों में बढ़कर 10.1 से 15.4 प्रतिशत हुआ है, जो कि एक अच्छी उपलब्धि है, GER को 2022 तक 32 प्रतिशत तक बढ़ाने हेतु नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ नये महाविद्यालय स्थापित किये जा रहे है। गत वर्षों में राज्य सरकार द्वारा 10 महिला महाविद्यालय तथा 12 मॉडल महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गयी है। साथ ही जिन विधान सभा क्षेत्र में महाविद्यालय नहीं है, वहाँ महाविद्यालय निर्माण प्रस्तावित है। इसी क्रम में चिन्हित 35 विधान सभा क्षेत्र जहाँ अंगीभूत महाविद्यालय नहीं है उनमें से 07 स्थानों पर स्वीकृति की जा रही है। शेष विधान

सभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से महाविद्यालय स्वीकृत किया जायेगा।

98. **तकनीकी क्षेत्र में बोकारो, राँची, देवघर जिलों में अभियंत्रण महाविद्यालय तथा 06 पोलिटेनिक कॉलेज का निर्माण किया जाएगा।**

99. वित्तीय वर्ष 2017–18 से 07 नये पोलिटेकनिक कॉलेज तथा 02 नये डिग्री महाविद्यालयों में पठन–पाठन का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

100. महाविद्यालयों में पढ़ाई में गुणवत्ता बढ़ाने तथा उसे रोजगार से जोड़ने के लिए Professional Courses यथा MBA, B.Ed, M.Ed Courses प्रारम्भ करने की योजना है। गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों पुस्तकालय, प्रयोगशाला को Upgrade किया जा रहा है। साथ ही विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में Wi-Fi की सुविधा बहाल की जायेगी।

101. पिछले वर्ष बजट पूर्व संगोष्ठी में बहुउद्देशीय परीक्षा केन्द्र की मांग आयी थी, जिसे देखते हुये 11 जिलों में बहुउद्देशीय परीक्षा केन्द्र की स्वीकृति दी गयी थी। वित्तीय वर्ष **2017–18 में शेष 13 जिले में भी स्वीकृत करने का प्रस्ताव** है।

102. सुदूर क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई नहीं हो इसके लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 से नई योजना **"विश्वविद्यालय बस सेवा" को प्रारम्भ किया जायेगा।**

103. मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा की पढ़ाई तथा शोध कार्य करने के लिए एक नई योजना **"मुख्यमंत्री फैलोशिप योजना" का शुभारम्भ** किया जायेगा।

104. **राँची विश्वविद्यालय, राँची में Performing Arts and Archaeology विषय की पढ़ाई सत्र 2017–18 से प्रारम्भ करने की व्यवस्था की जाएगी।**

105. Make in Jharkhand को सफल बनाने के लिए Skill Jharkhand को सफल

बनाना जरूरी है, इसी उद्देश्य से **अगले 5 वर्षों में 20 लाख युवक–युवतियों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है।** इसलिए सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना की शुरूआत कर दी गयी है। **आगामी वित्तीय वर्ष में कुल चार लाख युवक–युवतियों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जायेगा।**

106. **सभी जिले में चरणबद्ध तरीके से Mega Skill Center तथा Community Vehicle Training Center की स्थापना की जाएगी। महाविद्यालयों में छात्र–छात्राओं से प्राप्त मांग के आलोक में चरणबद्ध तरीके से सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जायेगा।**

107. महोदय, युवाओं में तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के माध्यम से हुनर पैदा कर के विश्व बाजार में प्रतियोगी क्षमता वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए **तकनीकी एवं कौशल विकास प्रक्षेत्र में चालू वित्तीय वर्ष में 145 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के विरूद्ध आगामी वित्तीय वर्ष में इसे बढ़ाकर 704 करोड़ रुपये किया गया है।**

108. **महोदय, आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभिन्न प्रक्षेत्रों में प्रस्तावित प्रावधानों में सबसे अधिक 10,517.64 करोड़ रुपये की राशि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा कौशल विकास हेतु निर्धारित है।**

## स्वस्थ झारखण्ड

109. भारत सरकार द्वारा **देवघर में एम्स की स्थापना की स्वीकृति** प्रदान कर दी गई। भारत सरकार द्वारा देवघर में एम्स के लिए प्रस्तावित स्थल हेतु सड़क

परिवहन/विद्युत तथा पेयजल की व्यवस्था हेतु दिये गए निदेशों के अनुपालन हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

110. आई०पी०एच०, भवन नामकुम में सामुदायिक स्वास्थ्य विषय पर तीन वर्षीय स्नातक स्तरीय पाठयक्रम की राज्य योजना प्राधिकृत समिति द्वारा स्वीकृति के आलोक में 2016–17 में योजना के क्रियान्वयन हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

111. **देवघर, पलामू, चाईबासा एवं दुमका के क्षेत्रीय अस्पतालों में पांच शय्या वाले ICU की स्थापना** कर दी गई है।

112. राज्य में नर्सिंग की कमी को दूर करने के लिए प्रत्येक जिला में जहाँ ए०एन०एम० स्कूल स्थापित नहीं है, उन जिलों में वित्तीय वर्ष 2017–18 में **ए०एन०एम० स्कूल (लातेहार, लोहरदगा, देवघर, पाकुड़, कोडरमा में) खोले जाने का प्रस्ताव** है।

113. पारा मेडिकल कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए राज्य में वित्तीय वर्ष 2016–17 में पलामू जिला में फार्मेसी संस्थान खोलने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आगामी वित्तीय वर्ष **2017–18 से सभी प्रमण्डल मुख्यालय में फार्मेसी संस्थान खोलने की कार्रवाई** प्रस्तावित है, ताकि राज्य में पारा मेडिकल कर्मियों को दूर किया जा सके।

114. भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश के आलोक में नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम आगामी वित्तीय वर्ष में लागू किया जाएगा। **मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को भारत सरकार की योजना के साथ एकीकृत करते हुए वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजना के क्रियान्वयन** हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। **इस बीमा योजना में परिवार के बच्चे भी सम्मिलित होंगे।**

115. भारत सरकार द्वारा राज्य में **तीन मेडिकल कॉलेज यथा–दुमका, हजारीबाग**

**एवं पलामू में वर्त्तमान सदर अस्पतालों को 200 बेड में उत्क्रमित करते हुए स्वीकृति दी गई है, जिसे कालान्तर में 500 बेड वाला प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के साथ संबद्ध किया जायेगा।**

116. वर्त्तमान में **तीनों मेडिकल कॉलेजों के निर्माण हेतु निविदाकार का चयन कार्यकारी एजेन्सी झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के द्वारा कर लिया गया है।** इस वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा।

117. **पश्चिम सिंहभूम जिला के चाईबासा एवं बोकारो जिला में 500 बेडेड मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण प्रस्तावित** है। इसके लिए भूमि का चयन कर लिया गया है, इसके स्वीकृति हेतु डी०पी०आर० तैयार किया जा रहा है।

118. **05 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 50 स्वास्थ्य उपकेन्द्र को मॉडल केन्द्र के रूप में विकसित** किए जाने के निमित्त मानव संसाधन की प्रतिनियुक्ति किया जा चुका है। सभी प्रस्तावित मॉडल स्वास्थ्य केन्द्रों का रंग–रोगन, दवा एवं उपकरण का क्रय, आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता आदि कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

119. **एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर के परिसर में 500 बेडेड अस्पताल का भवन निर्माण** हेतु झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि० के द्वारा डी०पी०आर० तैयार किया जा रहा है।

120. राज्य में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों के मद्देनजर **सभी जिला अस्पतालों में ट्रॉमा सेन्टर स्थापित करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा** गया है। भारत सरकार द्वारा राज्य में अबतक हजारीबाग, कोडरमा तथा पलामू में योजना की स्वीकृति दी गई है तथा एम०ओ०यू० कर लिया गया है। **ट्रॉमा सेन्टर की**

**महत्ता को देखते हुए राज्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय उच्च पथ–2, 33 एवं 143 में तीन स्थानों पर ट्रॉमा सेन्टर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव** है।

## आधारभूत संरचना का विकास

121. राज्य के आर्थिक विकास में ऊर्जा की सुगम उपलब्धता की अहम भूमिका है। झारखण्ड में कोयला के प्रचुर भंडार के आलोक में ताप आधारित विद्युत् क्षमता बढ़ाने की असीम संभावनाएं है। **राज्य को पावर हब के रूप में विकसित करने के** उद्देश्य से लोक उद्यम एवं निजी निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य में पूर्व से चल रही निर्माणाधीन विद्युत् परियोजनाओं के अतिरिक्त **पतरातू में एन०टी०पी०सी० एवं झारखण्ड सरकार के संयुक्त उद्यम द्वारा 2,400 मेगावाट क्षमता की नई उत्पादन इकाईयों** को स्थापित करने के लिए निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। **तेनुघाट में टी०वी०एन०एल० द्वारा 1,320 मेगावाट क्षमता की ऊर्जा उत्पादन की इकाई स्थापना** के लिए तकनीकी परामर्शी की नियुक्ति हो चुकी है, जिनके द्वारा विस्तृत डी०पी०आर० बनाने की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है। केन्द्र एवं राज्य के सहयोग से **तिलैया में स्थापित होने वाली यू०एम०पी०पी० प्रोजेक्ट में रिलाइन्स पावर के साथ चल रहे विवाद का निस्तारण** अंतिम चरण में है। **देवघर यू०एम०पी०पी० प्रोजेक्ट के लिए जलापूर्त्ति की संभावना** तलाशी जा रही है। आशा है शीघ्र ही इन दो प्रोजेक्ट में निविदा आमंत्रण की कार्रवाई प्रारम्भ होगी।

122. राज्य में **कुल 68 लाख परिवारों में से मात्र 38 लाख परिवारों को ही अब तक विद्युत् आपूर्त्ति से सम्बद्ध किया गया** है। राज्य सरकार **सभी घरों को बिजली का कनेक्शन एवं 24x7 स्तर पर विद्युत् आपूर्त्ति के लिए कृत संकल्प है**। 11वीं, 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में से **छूटे हुए 968 गाँवों को इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक**

**बिजली से संबद्ध करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर जारी** है। राज्य सरकार, केन्द्र सरकार की सहायता से **लगभग 3,600 करोड़ रूपये की लागत पर विद्युतीकृत गांवों में छूटे हुए टोले और मुहल्लों को भी विद्युत् आपूर्त्ति से जोड़ना** चाहती है। इस कार्य के लिए निविदा निस्तारण का कार्य अंतिम चरण में है। इसके अतिरिक्त **बचे हुए शेष सभी गांवों, टोलों एवं परिवारों को 5,100 करोड़ रूपये के खर्च पर अलग से एक ''सम्पूर्ण झारखण्ड बिजली आच्छादन योजना'' प्रारम्भ कर रही है,** जिससे राज्य के सभी छूटे परिवारों को अगले दो वर्षों में बिजली से आच्छादित किया जाए। उपर्युक्त परियोजना के क्रियान्वयन में **लगभग 165 पावर सब स्टेशन का निर्माण, 1,43,943 वितरण ट्रांस्फार्मर की स्थापना एवं 59,786 कि०मी० लम्बे तार बिछाए जायेंगे।**

123. **महोदय,** सरकार द्वारा **संचरण के क्षेत्र में विशेष ध्यान** दिया जा रहा है। वर्त्तमान में राज्य में कुल 113 ग्रिड सब स्टेशन की आवश्यकता के विरूद्ध मात्र 35 ग्रिड सब स्टेशन ही निर्मित है। इसी तरह लगभग 18 हजार किलोमीटर संचरण लाईन के विरूद्ध मात्र 3,500 किलोमीटर लंबी लाईन उपलब्ध है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि **अगले तीन वर्षो में संचरण इन्फ्रास्ट्रक्चर की दो तिहाई कमी को राज्य संसाधन, वित्तीय संस्थानों एवं पी०पी०पी० के माध्यम से पूर्णतया आच्छादित कर लिया जाएगा**।

124. राज्य सरकार **शहरी क्षेत्रों के पुराने पावर सब स्टेशन, ट्रांस्फार्मर एवं जीर्णशीर्ण तारों के बिछाव का सुदृढ़ीकरण कराना** चाहती है। गत वर्ष लगभग 1,300 करोड़ रूपये की लागत से 30 शहरों में यह कार्य प्रारम्भ किया गया है। **आई०पी०डी०एस० योजना में लगभग 731.73 करोड़ रूपये की लागत से 40 अन्य शहरों के विद्युत् इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी सुदृढ़ करने की योजना पर शीघ्र**

**कार्य प्रारम्भ होगा,** जिसके लिए निविदा निस्तार अंतिम चरण में है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में **कुल 49 नए पावर सब स्टेशन का निर्माण, 103 पावर ट्रांस्फार्मर का क्षमता का विस्तारीकरण एवं लगभग 168 कि०मी० अण्डर ग्राउण्ड केबलिंग की जाएगी।**

125. **वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने** के लिए संचालन एवं संधारण के इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखकर राज्य के **शेष 9 जिलों यथा खूँटी, सिमडेगा, सरायकेला—खरसावां, चतरा गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, लोहरदगा एवं लातेहार में नए ट्रांस्फार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप एवं केन्द्रीय भण्डारण की स्थापना की** जायेगी। क्षेत्रीय कार्यालयों में **लाईनमैन की कमी को ध्यान में रखकर नियमित नियुक्ति तथा आउट सोर्स के माध्यम से नए लाईनमैन रखे जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ** है। ये लाईनमैन नये उपस्कर यथा नए गमबूट, हैन्ड ग्लोब्स, हेलमेट, पोशाक एवं बैज के साथ सुसज्जित होंगे। उन्हें यथा आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके **अतिरिक्त सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, कार्यालय सहायक, लेखा सहायक आदि के रिक्त पदों पर लगभग 1,082 पदों को भरने हेतु नई नियुक्ति की प्रक्रिया** प्रारंभ कर दी गई है।

126. पर्यावरण को ध्यान में रखकर राज्य सरकार **अपारम्परिक ऊर्जा माध्यमों को विकसित करने के लिए** विभिन्न योजनाओं पर कार्य कर रही है। सोलर पावर प्लान्ट की नई इकाईयाँ स्थापित करने के लिए निजी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। आशा की जाती है कि **अगले डेढ़ से दो वर्षो में लगभग 900 मेगावाट क्षमता की नई इकाईयाँ स्थापित होंगी।** इसके अतिरिक्त **ग्रिड कनेक्टेट रूफ टॉप सोलर पावर प्लान्ट को सरकारी भवनों के ऊपर अधिष्ठापित करने के कार्य** को बढ़ावा दिया जाएगा। अगले वर्ष इस कार्य से लगभग 20 मेगावाट का अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन होने

की संभावना है। **निजी अवासीय एवं गैर अवासीय भवनों पर भी ग्रीड कनेक्टेट रूफ टॉप सोलर पावर प्लान्ट अधिष्ठापन कार्य को प्रोत्साहन** दिया जाएगा। **जल श्रोतों पर आधारित 125 मेगावाट क्षमता की हाईडल प्रोजेक्ट को भी निजी निवेशकों के माध्यम से निर्माण कराने हेतु निविदा** आमंत्रित है।

127. **महोदय,** आर्थिक विकास में ऊर्जा के साथ ही, सड़क, रेल तथा वायुयान कनेक्टिविटी की भी महत्ता है। अगले वित्तीय वर्ष **अर्न्तराज्यीय महत्व, पर्यटन के महत्व, औद्यौगिक विकास के महत्व अर्न्तजिला एवं जिले के महत्वपूर्ण पथों के विकास का लक्ष्य** है। **लगभग 1,000 कि०मी० पथों एवं 40 वृहद् पुल के निर्माण** का भी कार्यक्रम है।

128. राज्य सरकार के प्रयास से भारत सरकार द्वारा लगभग **2,000 करोड़ रुपये की लागत से साहेबगंज स्थित गंगा नदी पर चार लेन उच्च स्तरीय पुल निर्माण** हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निविदा आमंत्रित है। पुल निर्माण से देश के पूर्वोत्तर भाग से झारखण्ड राज्य का सपंर्क स्थापित होगा। **इस महत्ती परियोजना की स्वीकृति के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं।**

129. पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग–1 गंगा नदी पर ली गई है। इसके प्रथम चरण में हल्दिया से वाराणसी का विकास किया जाना है, जिसके अन्तर्गत राज्य के साहेबगंज में मल्टी मॉडल ट्रांस्पोर्ट हब बनाए जाने की स्वीकृति प्राप्त है। इसके तहत साहेबगंज में कुल आवश्यक 183.13 एकड़ भूमि के विरूद्ध अब तक 137.15 एकड़ भूमि प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जा चुका है। इस महत्ती योजना की स्वीकृति के लिए **हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं।**

130. वाह्य सम्पोषित योजना अन्तर्गत एशियन विकास बैंक (ADB) के ऋण से

**गोविन्दपुर–जामताड़ा–दुमका बरहेट–साहेबगंज पथ** का उन्नयन पुर्नरूद्धार, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण बाईपास सहित दो लेन मानक पथ का निर्माण लगभग समाप्ति पर है। इस पथ एवं साहेबगंज में गंगा नदी पर पुल निर्माण से झारखण्ड का पूर्वोत्तर राज्यों से सीधा संपर्क स्थापित होगा।

131. लोक निजी भागीदारी अन्तर्गत ही विभाग द्वारा **राँची–बोकारो एवं धनबाद को जोड़ने हेतु एक्सप्रेस वे (Expressway) के निर्माण हेतु प्रस्ताव** तैयार किया जा रहा है। यह कार्य लोक निजी भागीदारी पर कराया जायेगा। साथ ही, **Industrial Corridor स्थापित करने के लिए राँची, धनबाद एवं जमशेदपुर को 6 लेन एक्सप्रेस** वे निर्मित कर गोल्डन ट्रैंगल (Golden Triangle) स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस कार्य का feasibility study तैयार किया जा चुका है। भू–अर्जन के पश्चात् निर्माण की कार्रवाई की जायेगी।

132. राज्य सरकार द्वारा राँची एवं जमशेदपुर में फ्लाईओवर बनाने की स्वीकृति दी गई है। धनबाद शहर के यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के उद्देश्य से **बैंक मोड़ चौक के आसपास रेलवे के साथ मिलकर एक फ्लाईओवर (आर०ओ०बी०) निर्माण** हेतु कार्रवाई की जा रही है तथा संभाव्यता प्रतिवेदन (feasibility report) के पश्चात् अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

133. इसके साथ ही, अगले तीन वर्षों में राज्य के महत्वपूर्ण जिलों के बाईपासों का निर्माण का भी कार्यक्रम है। इसमें **देवघर, गिरिडीह, खूंटी, चाईबासा, लोहरदगा, गोड्डा एवं पाकुड़ के बाईपास के निर्माण हेतु डी०पी०आर०** तैयार कराया गया है एवं भू–अर्जन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। शहरी क्षेत्रों की प्रमुख सड़कों का निर्माण, Traffic density के आलोक में, पथ निर्माण विभाग द्वारा कराया जाएगा।

134. राज्य में कार्यरत 6 रेल परियोजनाओं का निर्माण कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण

हो जाने की संभावना है। परन्तु, निर्माणाधीन **गोड्डा एवं हंसडीहा रेलमार्ग परियोजना हंसडीह–जसीडीह एवं गोड्डा–पीरपैती तक विस्तारित करने के उपरांत ही वास्तव में पूर्ण उपयोगी होगी।** इस दृष्टिकोण से पीरपैती–जसीडीह नई रेल लाईन परियोजना महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय रेल 97.17 कि०मी० की लम्बाई पर रेल लाईन बिछाने पर अपनी सहमति प्रदान की है तथा कुल लागत राशि 2,100 करोड़ की 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने पर राज्य सरकार की सहमति की अपेक्षा की गई है।

135. राज्य के **विभिन्न शहरों को वायु सेवा से जोड़ने हेतु राज्य** सरकार, भारत सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारत सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया गया है, जिसके द्वारा भारत सरकार द्वारा लागू की गयी Regional Connectivity Scheme के तहत राज्य के कई शहर व्यवसायिक वायुसेवा से जुड़ सकेंगे, जिससे राज्य के कतिपय शहरों को वायुसेवा उपलब्ध हो जायेगी।

136. महोदय, वित्तीय वर्ष 2016–17 में की गई घोषणा के आलोक में 465 करोड़ रुपये की लागत से झारखण्ड विधान सभा के नए भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है, जिसे फरवरी, 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। 366 करोड़ रुपये की लागत से झारखण्ड उच्च न्यायालय के नए भवन का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जिसे दिसम्बर, 2017 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। नए सचिवालय भवन हेतु डिजाईन तैयार कर लिया गया है। डी०पी०आर० तैयार कर योजना की स्वीकृति देते हुए कार्य शीघ्र प्रारंभ कर दिया जाएगा।

137. महोदय, राज्य सरकार द्वारा एक विशेष पहल करते हुए **एच०ई०सी० एरिया में विस्थापित हुए परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हेतु 54.8 एकड़ भूमि पर 400 परिवारों हेतु आवासीय इकाई के लिए**

**216.63 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है।** कार्य योजना के अनुसार जनवरी, 2019 तक इस योजना का पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

138. दो शहरों (जमशेदपुर एवं धनबाद) के सिटी डेवलेपमेंट प्लान के पुनरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, 10 बड़े शहरों का सिटी डेवलेपमेंट प्लान तैयार करने की कार्रवाई अंतिम चरण में है। **06 शहरों का 'कॉम्प्रिहेन्सीव मोबिलिटी प्लान' तैयार कर लिया गया** है।

139. **अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्त्तन मिशन (अमृत) योजना के** अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य के **सात शहरों यथा–राँची, धनबाद, देवघर, चास, आदित्यपुर, हजारीबाग एवं गिरिडीह का चयन किया गया है।** इस योजना के अंतर्गत वर्त्तमान में चयनित सात शहरों में जलापूर्ति प्रणाली के विकास एवं सुदृढ़ीकरण, आदित्यपुर नगर निगम में एकीकृत सिवरेज प्रणाली, चास, हजारीबाग एवं देवघर नगर निगम तथा गिरिडीह नगर परिषद् में सेप्टेज प्रबंधन एवं उपर्युक्त सात शहरों में चिल्ड्रेन फ्रेण्डली पार्क निर्माण की परियोजनायें क्रियान्वित की जा रही है।

140. राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से **शहरी क्षेत्रों में 2019 तक पेयजलापूर्त्ति योजना पूर्ण किये जाने का लक्ष्य** रखा गया है। **चास, देवघर (जोन–I एवं II), जुगसलाई, झुमरीतिलैया, चतरा, मिहिजाम, जामताड़ा में फेज–1 जलापूर्ति योजना पूर्ण** हो चुकी है। **बुण्डू, राँची (मिसिंग लिंक–I एवं II), चिरकुण्डा, मानगो, गढ़वा, सरायकेला एवं गोड्डा में क्रियान्वित जलापूर्त्ति योजना को पूर्ण किया जाना है।**

141. **खूँटी, बासुकीनाथ एवं सिमडेगा में जलापूर्ति योजना वर्ल्ड बैंक द्वारा प्राथमिकता के तौर पर लिया गया** है। चाकुलिया, विश्रामपुर, कोडरमा, आदित्यपुर,

रामगढ़, लातेहार, चतरा, मंझिआंव, गिरिडीह एवं चास में अमृत योजना अंतर्गत नई जलापूर्ति योजना तथा राँची, धनबाद एवं देवघर में जलापूर्ति योजना का विकास एवं सुदृढ़ीकरण प्रक्रियाधीन है।

142. राँची शहर में **रविन्द्र भवन एवं हज हाऊस के निर्माण हेतु** सर्वश्री जुडको लि० को राशि आवंटित की जा चुकी है। जुडको लि० के द्वारा निविदा प्रकाशित कर दी गई है।

143. जमशेदपुर में **नवजीवन कुष्ट आश्रम के निर्माण** एवं देवघर के **कालीरेखा कुष्ट आश्रम के निर्माण** हेतु क्रमशः 30.67 करोड़ एवं 5.55 करोड़ रूपये का आवंटन दिया जा चुका है। सर्वश्री जुडको लि० के द्वारा उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निविदा का प्रकाशन कर दिया गया है।

144. राँची शहर के यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु **लगभग 3,056 करोड़ रुपये की लागत से पाँच प्रमुख पथों का विकास एवं लगभग 522 करोड़ रुपये की लागत पर दो प्रमुख चौराहों यथा–रातु रोड चौक एवं कांटाटोली चौक पर फ्लाई ओवर निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया** है। इस हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

145. **राँची में लाईट मेट्रोरेल परियोजना हेतु डी०पी०आर० तैयार किया जा रहा** है। **राँची में दो फ्लाई ओवर के निर्माण हेतु भू–अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई** है।

146. **स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के लिए 2,31,018 व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण का लक्ष्य रखा गया** है। आवश्यक जांचोपरांत 2,74,881 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है एवं 58,027 शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण किया

जा चुका है। **04 निकायों यथा–चास, बुण्डू, खूँटी एवं लोहरदगा को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका** है।

147. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM)** में Waste to Energy हेतु राँची नगर निगम में संवेदक का चयन कर लिया गया है। 08 निकायों में संवेदक के चयन हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। 16 नगर निकायों हेतु डीपीआर बन चुका है, शेष नगर निकायों हेतु डीपीआर तैयार कराया जा रहा है।

148. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा हेतु **'सेवा–शुल्क नियमावली'** प्रभावी हो चुकी है। निकायों में विभिन्न माध्यमों से आमजनों को जागरूक करने का कार्य भी किया जा रहा है।

149. राज्य के शहरी क्षेत्रों में निकायों के माध्यम से स्वरोजगार हेतु 56,800 युवाओं का वित्तीय वर्ष 2016–17 तक कौशल प्रशिक्षण देने का कार्य पूरा कर लिया जायगा एवं वित्तीय वर्ष **2017–18 में 70,000 शहरी लाभुकों को कौशल प्रशिक्षण दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया** है। **वित्तीय वर्ष 2019–20 तक 1,80,000 शहरी गरीब युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाना लक्षित** है।

150. 28 नगर निकायों में **23,800 street vendors का प्रारंभिक दौर में सर्वेक्षण किया जा चुका है।साथ ही, 28 नगर निकायों में टाउन वेंडिंग समिति का गठन झारखण्ड पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) नियमावली, 2015 के अनुरूप प्रक्रियाधीन** है। उक्त टाउन वेंडिंग समिति का दिनांक–30 जनवरी 2017 तक विधिवत गठन कर लिया जाएगा।

151. **Street Vendors को व्यवस्थित रूप से शहर में विक्रय स्थल की व्यवस्था करने हेतु अबतक कुल 77 वेंडिंग जोन हेतु कुल 64.77 एकड़ जमीन चिन्हित**

**किया जा चुका** है। साथ ही, पथ विक्रेताओं हेतु स्कीम से संबंधित नियमावली बनाने की प्रक्रिया जारी है।

152. झारखण्ड में पर्यावरण की सुरक्षा एवं शहरों की **साफ–सफाई हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य की शुरूआत** राँची शहर में प्रारम्भ की गई है।

153. DEA, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के 56वें Screening Committee में Jharkhand Sustainable Urban Development Project (JSUDP) के US $ 300 Million (1,980 करोड़ रूपये लगभग) की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। **जल्द ही 10 लाख तक जनसंख्या वाले शहरों एवं अमृत योजना वाले शहरों में सिवरेज, ड्रेनेज, SWM, Water Supply आदि परियोजनाएँ कार्यान्वित की जायेंगी।**

154. सभी जरूरतमंद नागरिकों को आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में है। इस संबंध में सरकार द्वारा **'Jharkhand Housing Policy, 2016' अधिसूचित की** जा चुकी है।

155. झारखण्ड राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में जल के निर्वाध आपूर्ति किये जाने के उद्देश्य से **झारखण्ड जल नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2016** अधिसूचित किया गया है।

156. शहरी क्षेत्रों में पथ विक्रेताओं को चिन्हित करते हुए निकाय स्तर से उनका परिचय पत्र एवं निबंधन किये जाने के उद्देश्य से झारखण्ड **पथ विक्रेता (आजीविका, संरक्षण एवं विनियम) नियमावली, 2016 अधिसूचित** किया गया है।

157. शहरी स्थानीय निकायों के आंतरिक स्रोत से राजस्व उद्ग्रहण हेतु सम्पत्तिकर का निर्धारण, प्रक्रिया एवं वसूली को नियमित एवं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से झारखण्ड **नगरपालिका कर भुगतान (समय, प्रक्रिया तथा वसूली) विनियम, 2016 अधिसूचित** किया गया है।

158. शहरी क्षेत्रों में झारखण्ड **नगरपालिका भवन नक्शा स्वीकृति हेतु प्राधिकृत संस्था (संशोधित) नियमावली, 2016 अधिरोपित** किया गया है।

159. सरायकेला–खरसावाँ जिलान्तर्गत **कपाली नगर परिषद** एवं साहेबगंज जिलान्तर्गत **बरहरवा नगर पंचायत का गठन** किया गया है।

160. झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड द्वारा सम्पदाओं के विस्तारीकरण के लिए पूर्व से चल रहे अन्य सभी कार्यक्रमों के अतिरिक्त आवासीय कॉलोनी में गुणवत्ता में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए स्मार्ट कॉलोनी का निर्माण कराये जाने के उद्देश्य से सरकार द्**वारा प्रारंभ में पांच जिलों यथा–राँची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और देवघर का चयन किया गया** है।

161. स्मार्ट कॉलोनी में विद्यालय, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, खेल मैदान, पार्क, अस्पताल, बैंक और सामुदायिक भवन आदि उपलब्ध कराये जाने के क्रम में **बरियातु में 10 एकड़, सरायकेला–खरसावाँ जिले के कुलुपटंगा में 10 एकड़ जमीन पर EOI/RFQ का कार्य चल रहा** है। साथ ही, **बोकारो जिले में 10 एकड़, देवघर जिले में 12 एकड़ जमीन का चयन हो चुका है एवं हस्तांतरण प्रक्रियाधीन** है।

162. अध्यक्ष महोदय, पेयजल के लिए चापाकलों पर ग्रामीण जनता की निर्भरता कम करना सरकार का लक्ष्य है। गत दो वर्षों से सरकार ऐसी कार्य योजना पर काम कर रही है कि शुद्ध पेयजल की आपूर्ति पाईप जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से राज्य की ग्रामीण जनता को भी शहरों की तरह ही प्राप्त हो। **गत् वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में पाईप जलापूर्त्ति से आच्छादन लगभग 15 प्रतिशत बढ़ा है और वर्त्तमान में 27 प्रतिशत आबादी को हम पाईप जलापूर्त्ति से आच्छादित कर सके है।** केन्द्र प्रायोजित नीर निर्मल परियोजना एवं एन०आर०डी०डब्लू०पी० तथा राज्य योजना मद से वित्तीय वर्ष 2016–17 में 130 वृहद् एवं 5,103 लघु पाईप जलापूर्त्ति योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही

है। आगामी **वित्तीय वर्ष 2017–18 में इन मदों से 50 वृहद् तथा 2,000 लघु पाईप जलापूर्त्ति योजनाएँ प्रारम्भ की जाएगी।**

163. डी०एम०एफ०टी० के माध्यम से काफी धनराशि कतिपय जिलों को प्राप्त हो रही है और इस राशि का उपयोग हम ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता अधिष्ठापन के क्षेत्र में कर रहे हैं। **अभी तक डी०एम०एफ०टी० अन्तर्गत 53 वृहद्ध तथा 834 लघु पेय जलापूर्त्ति योजनाओं को 1,072.67 करोड़ की लागत से प्रारंभ की गई है। महोदय, आगामी वित्तीय वर्ष में लगभग 1,100 करोड़ की राशि से हम 50 और नई वृहद् जलापूर्त्ति योजनाओं को प्रारंभ कर सकेंगे। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2019–20 तक राज्य की 50 प्रतिशत जनता को हम पाईप वाटर के माध्यम पेयजल की आपूर्त्ति करने में सफल होंगे।**

164. स्वच्छता अधिष्ठापन के क्षेत्र में भी हम वर्त्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक **दो जिलों को पूर्णतः खुले में शौच से मुक्त घोषित कर देंगे।** आगामी वित्तीय वर्ष में दस जिलों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जाएगा।

165. **महोदय, राजमार्ग के यात्रियों की सुविधा हेतु राजमार्गों के किनारे पेट्रोल पम्प, ढाबे आदि स्थानों पर शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ग्रामीण हाट, प्रखण्ड मुख्यालय एवं सार्वजनिक स्थलों पर भी सामुदायिक शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। वर्ष 2017–18 में 8.50 लाख निजी आवासों में शौचालयों का निर्माण भी कराया जाएगा।**

## औद्योगिक विकास

166. **अध्यक्ष महोदय,** जहाँ एक ओर सरकार कृषि एवं सम्बद्ध प्रक्षेत्रों के सतत् विकास हेतु प्रयत्नशील है, वहीं दूसरी ओर हमारा यह भी प्रयास है कि राज्य में उद्योग–धंधों का

माहौल बेहतर–से–बेहतर हो। उद्योग–व्यापार प्रारम्भ करने में कम–से–कम समय लगे, प्रक्रियाओं की जटिलता को कम किया जाए तथा आधारभूत संरचनाओं का विकास हो, इस पर भी कार्रवाई चल रही है। मैं सदन को यह बताना चाहूँगा कि **श्रम सुधारों में झारखण्ड राज्य को लगातार दूसरी वर्ष भी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ** है। हम इस दिशा में और आगे कार्रवाई करते हुए राज्य में पूँजी निवेश का बेहतर महौल बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। राज्य में **नई औद्योगिक एवं पूँजी निवेश प्रोत्साहन नीति** लागू कर दी गई है। पिछले छः माह से देश के विभिन्न शहरों एवं विश्व के प्रमुख औद्योगिक देशों में हमने पूंजीनिवेश हेतु रोड शो का आयोजन किया है, ताकि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की शीर्षस्थ कंपनियाँ राज्य में पूंजीनिवेश के लिए प्रोत्साहित हों। इसी क्रम में मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि आगामी **16–17 फरवरी, 2017 को राज्य में ग्लोबल इन्भेस्टर्स सम्मिट** का आयोजन किया गया है। अध्यक्ष महोदय इन उपायों से राज्य में रोजगार सृजन के नए आयाम विकसित होंगे और राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की आधारभूत संरचना का विकास होगा।

167. राज्य में रोजगार सृजन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनसे युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा–से–ज्यादा अवसर उत्पन्न हों, उदाहरणस्वरूप–टेक्सटाईल, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वनजनित उत्पाद आधारित उद्योग, IT, तथा IT आधारित उद्योग।

168. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में कुटीर, सूक्ष्म एवं परम्परागत उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक प्रशासनिक संरचना बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है, ताकि छोटे–छोटे उद्यमियों को संगठित कर उत्पादन को स्केल–अप किया जा सके तथा सुसंगठित बाजार की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। इससे छोटे एवं परम्परागत उद्यमी परिवारों के आय में सुगठित वृद्धि किया जाना संभव हो सकेगा। इसी उद्देश्य की

पूर्त्ति के लिए उद्योग विभाग के अन्तर्गत **''मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड का गठन''** किया जा रहा है।

169. राज्य में वर्त्तमान में कार्यरत उद्यमियों, विशेष रूप से लघु एवं परम्परागत् उद्योग तथा कुटीर उद्योग को विकसित करने हेतु बढ़ावा दिया जाएगा।

## राज्य की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण

170. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को अनुरक्षित रखना सरकार की जवाबदेही है। राज्य में संगीत, नृत्य, नाटक, विभिन्न पारंपरिक भाषा/साहित्य, चित्रकला, वास्तुकला के संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास के लिए **''झारखण्ड कला अकादमी'' का गठन** किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त **''झारखण्ड कला मंदिर (राँची एवं दुमका), राजकीय छऊ नृत्य कला केन्द्र (सरायकेला), राजकीय मानभूम छऊ नृत्य कला केन्द्र (सिल्ली), आर्ट गैलरी (ऑड्रे हाउस)** को अनुदान के रूप में संवर्द्धन राशि मुहैय्या किये जाने हेतु बजट में प्रावधान किया जा रहा है।

171. राज्य में लगभग 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा प्रचलित है, जिनके विकास के लिए **''क्षेत्रीय जनजातीय भाषा एवं सांस्कृतिक पुनर्रूथान केन्द्र'' की स्थापना** का प्रस्ताव है। इसके तहत **चाईबासा में हो भाषा के लिए तथा गुमला में कुड़ुख भाषा के लिए परिषद् का कार्य प्रारम्भ किया गया है।**

172. **देवघर में रविन्द्र भवन प्रेक्षागृह–सह–सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव भी इस बजट के माध्यम से करता हूँ।**

173. **अध्यक्ष महोदय, साहेबगंज जिले के मण्डरों वन प्रक्षेत्र** में मौजा–गुरमी पहाड़, बास्कोबेड़ों, ताड़ा और मंगलमेरों में विभिन्न प्रकार के फोसिल्स पाए गए है, इनके

संरक्षण हेतु इस स्थल को **जिओलॉजिकल हेरिटेज साईट** के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

174. राज्य सरकार द्वारा क्रीड़ा विश्वविद्यालय एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु CCL के साथ PPP Mode पर MoU किया गया है तथा क्रीड़ा विश्वविद्यालय वर्त्तमान में कार्यशील है।

175. चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के वयोवृद्ध लोगों के लिए **''मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन''** योजना प्रारम्भ की गई थी, जो सफल रही है। आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 में भी यह योजना चालू रहेगी।

176. राज्य के युवाओं के कल्याण एवं विकास के लिए **''युवा आयोग''** को क्रियाशील किया जाएगा।

## विधि व्यवस्था

177. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के विकास की गति को बढ़ाने एवं निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु उग्रवाद उन्मूलन एवं अपराध की रोकथाम तथा आम नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। वर्ष 2013 एवं 2014 की तुलना में वर्त्तमान सरकार के बीते दो वर्षों में वामपंथी **उग्रवाद से संबंधित घटनाओं में 40% से अधिक की कमी** आई है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल एवं राज्य पुलिस में समन्वय स्थापित कर **नए सुरक्षा कैम्प खोले गए** है। 13 अति–उग्रवाद ग्रसित क्षेत्रों को चिन्हित कर सुरक्षा तथा विकास, दोनों को साथ–साथ उपलब्ध कराने के लिए इन **13 क्षेत्रों में फोकस एरिया डेवलपमेंट प्लान** के तहत विभिन्न विभागों के सहयोग से विकास, स्वरोजगार तथा आधारभूत संरचना जैसे सड़क, बिजली, पानी की सुविधा मुहैया कराना है तथा शैक्षणिक परिवेश को बेहतर विकसित किया जाना है।

178. इन 13 फोकस एरिया अन्तर्गत **बेरोजगार 2,500 ग्रामीण युवक/युवतियों को सहायक पुलिस के रूप में वर्ष 2017–18 में नियुक्त कर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सरकार एवं जनता के बीच समन्वय स्थापित किया जायेगा।**

179. पूर्व बजट घोषणा के उपरान्त आदिम जनजातियों की 02 बटालियन का गठन क्रमशः दुमका एवं खूँटी में किया जा चुका है और इस वर्ष आधारभूत संरचना की वृद्धि कराने एवं प्रशिक्षण दिलाने में कार्रवाई की जायेगी।

180. अपराध की रोकथाम एवं आमजनों की सुरक्षा में वृद्धि के निमित राज**धानी राँची में CCTV परियोजना की स्वीकृति दी गयी है तथा इसे वित्तीय वर्ष 2017–18 में पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त जमशेदपुर एवं देवघर को भी इस वर्ष CCTV सर्विलान्स में शामिल किया जाएगा।**

181. अपराध की रोकथाम हेतु पूरे राज्य में 161 पुलिस कंट्रोल वाहन एवं 152 हाईवे पेट्रोल वाहन उपलब्ध करा दिए गए हैं। **Unified Dial-100** प्रणाली अन्तर्गत इन सभी वाहनों को जिला कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर कम से कम समय में पुलिस जनता की मदद के लिए हाजिर हो सके।

182. अपराधिक मामलों के अनुसंधान में गुणात्मक सुधार करने की दिशा में थानों में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं नए थानों के उत्क्रमण, नए टी०ओ०पी० तथा पुलिस अनुमण्डल का गठन/सृजन की दिशा में कार्रवाई की जाएगी।

183. जनता–पुलिस के बीच की दूरी को कम करने के लिए राँची से **''पुलिस आपके द्वार''** कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जिसे राज्य के अन्य शहरों में भी विस्तारित किया जाएगा।

184. चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 10,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की गयी है। आगामी दो वर्षो में 2,400 अवर निरीक्षकों की नियुक्ति पूरी कर ली जाएगी।

185. **Crime and Criminal Tracking Network and System (CCTNS)** के तहत विभिन्न थानों में Online FIR दर्ज किए जाने की योजना चलायी जा रही है। **CCTNS,** अन्तर्गत सभी नागरिकों के लिए पोर्टल **''समाधान''** उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके अन्तर्गत शिकायत, घरेलू सहायता सत्यापन, कर्मचारी सत्यापन, किरायेदार सत्यापन अनुरोध, चरित्र प्रमाण पत्र, विदेशी पंजीकरण के लिए सी फार्म, इत्यादि सीधे ऑनलाईन के माध्यम से नागरिकों द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है, जिस पर पुलिस तत्परतापूर्ण कार्रवाई करेगी।

186. **केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के तर्ज पर 01 बटालियन राज्य औद्योगिक (SISF) का गठन किया गया है तथा उन्हें औद्योगिक क्षेत्रों में प्रतिनियुक्ति कर दिया गया है। आवश्यकतानुसार उसमें वृद्धि की जाएगी।** इससे औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा एवं बेहतर निवेश का वातावरण बनेगा।

187. देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने का दायित्व वीर सैनिकों पर है। राज्य सरकार द्वारा इन वीर सैनिकों को सेवानिवृत्ति उपरान्त नियोजित करने हेतु **Special Auxiliary Police (SAP)** की दो बटालियन को अगले 05 वर्षो के लिए विस्तारित करते हुए उनके मानदेय में भी वृद्धि की गयी है।

188. **राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय द्वारा भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं/आश्रितों हेतु एकीकृत निधि से दिए जाने वाली आर्थिक सहायता/अनुग्रह–अनुदान में सम्मानजनक वृद्धि की गयी है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन संबंधी समस्याओं के त्वरित निष्पादन हेतु राँची में डिफेंस पेंशन डिसबर्समेन्ट कार्यालय (DPDO) स्थापित करने की**

**योजना है। साथ ही, दो करोड़ की लागत से निदेशालय कार्यालय सह विश्रामगृह का निर्माण करने की भी योजना है।**

189. आधी आबादी अर्थात् महिलाओं की सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार विशेष रूप से संवेदनशील है। इसके लिए इस वर्ष की गयी पुलिस बहाली में महिलाओं को 33% आरक्षण देते हुए महिलाओं एवं विशेषकर शैक्षणिक संस्थानों में बालिकाओं के लिए **शक्ति ऐप** शुरूआत की गयी है एवं इसके तहत **शक्ति कमाण्डों** की प्रतिनियुक्ति की गयी है। पीड़ित महिला/व्यक्ति को स्थल से ही तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसी वर्ष **DIAL-100** योजना चालू की जायेगी।

190. वर्ष 2017–18 में उपकारा बरही एवं मधुपुर को पूर्ण करने का लक्ष्य है तथा निर्माणाधीन उपकारा नगर उटारी एवं उपकारा चक्रधरपुर को नई गति देकर पूर्ण करने की योजना है।

191. चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक–04.06.2016 को राज्य के काराओं से असमय कारामुक्त 55 बंदियों को विभिन्न गैर सरकारी संस्थानों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में काराओं में संसीमित गंदियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु एन०आई०सी० के माध्यम से एक साफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिससे संभावित एजेन्सी सीधे प्रशिक्षित सजावार बन्दियों को रोजगार उपलब्ध कराऐंगे।

192. राज्य में आपदा प्रबंधन के संस्थागत विकास हेतु राज्य आपदा प्रबंधन नीति का निर्धारण करते हुए राज्य एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारों के गठन के पश्चात अभी प्रशासनिक इकाई का गठन, राज्य आपदा मोचन बल का गठन एवं झारखण्ड खनन आपदा प्रबंधन संस्थान की धनबाद में अधिस्थापना सरकार की प्राथमिकता है।

193. राज्य के 05 नागरिक सुरक्षा जिला के अतिरिक्त शेष 19 जिलों को भी नागरिक

सुरक्षा जिला घोषित कर दिया गया है ''तथा **प्रत्येक जिले में 100–100 सदस्यों वाली नागरिक सुरक्षा स्वंयसेवकों का गठन किया गया है।** स्वंयसेवकों के प्रशिक्षण भत्ता एवं कर्त्तव्य भत्ता को 250/– रुपये प्रति दिन किया गया है'' जो कि एक सम्मानजनक वृद्धि है। आपदा प्रबंधन में यह सुप्रशिक्षित एवं सुसज्जित स्वंयसेवक दल बेहतरीन कार्य एवं सहरानीय योगदान दे रहें हैं।

194. गृह रक्षा वाहिनी एक प्रशिक्षणोमुखी संस्था है, जहाँ गृह रक्षकों को लगातार प्रशिक्षण देकर आने वाली हर विकट परिस्थितियों से निपटने के लिये उन्हें तैयार किया जाता है। प्रशिक्षण का स्तर ऊँचा रहे एवं गृह रक्षकों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देते हुए राज्य के विभिन्न जिलों में गृह रक्षा वाहिनी के नव–निर्मित भवनों में विद्युत आपूर्त्ति, नलकूप अधिष्ठापन, स्नानागार एवं शौचालय निर्माण इत्यादि योजनाओं को पूर्ण किया जायेगा।

195. झारखण्ड अग्निशमन सेवा को वर्ष 2016 में 42 फायर इंजिन उपलब्ध कराया गया है तथा अनुमण्डल स्तर पर 13 अग्निशामालयों के स्थापना की स्वीकृति दी गयी है। इसी प्रयास को वित्तीय वर्ष 2017–18 में जारी रखते हुए **राँची, जमशेदपुर एवं धनबाद के लिए एक–एक अदद् हाईड्रोलिक प्लेटफार्म की तथा आपातकालीन स्थिति में बचाव हेतु 03 हैण्ड हेल्ड फोरसिबल इंट्री टूल एवं 06 वाटर मिस्ट मोटर साईकिल इत्यादि से संसाधनों में वृद्धि की जायेगी।**

196. झारखण्ड पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों में से सिपाहियों, हवलदारों, सहायक अवर निरीक्षकों, अवर निरीक्षकों एवं निरीक्षकों के द्वारा विधि–व्यवस्था, कानून व्यवस्था की निरंतर ड्यूटि राजपत्रित अवकाश/त्योहार के दिनों में भी अपने परिवार से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों में करते हैं। अतः इन पुलिस कर्मियों के कठिन परिस्थितियों में कर्त्तव्यों के निर्वहन को ध्यान में रखते हुए **राज्य सरकार ने सैद्धान्तिक सहमति दी**

**है कि उन्हें इसके एवज में वर्ष में एक माह के मूल वेतन के बराबर मानदेय भुगतान किया जाय। यह मानदेय भुगतान किस श्रेणी के अराजपत्रित कर्मियों/कार्यालयों को अनुमान्य होगा, इसके बारे में एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसकी अनुशंसा पर आगामी वित्तीय वर्ष में इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।**

## प्रशासनिक एवं वित्तीय सुधार

197. प्रशासन का विकेन्द्रीकरण करते हुए पंचायती राज संस्थाओं को और सशक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। 14वें वित्त आयोग से प्राप्त होनेवाली राशि सीधे पंचायतों को जा रही है, परन्तु जिला परिषदों एवं पंचायत समितियाँ वित्तीय रूप से अभी सशक्त नहीं हो सकी है। इसे देखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए **जिला परिषदों को प्रकाश व्यवस्था (एल०ई०डी० स्ट्रीट लाईट), खुले में शौच से मुक्त कराने हेतु स्वच्छता से संबंधित योजनाएँ, शुद्ध पेयजल हेतु पाईप द्वारा जलापूर्त्ति तथा आय श्रोत में वृद्धि हेतु योजनाएँ लेने हेतु 100 करोड़ रूपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।**

198. **पंचायतों को अधिक कार्यशील बनाने के उद्देश्य से पंचायत सचिवालय अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत में कुल 4 स्वयंसेवकों का चयन किया गया है।** आगामी वर्ष में स्वयंसेवकों से विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण कराये जाने की योजना है, ताकि पंचायतवार आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का सही मूल्यांकन किया जा सके। उक्त मूल्यांकन के आधार पर पंचायतवार आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का चयन किया जायेगा, जिससे योजनाओं के चयन एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में भी स्थानीय लोगों की पूर्ण भागीदारी हो। **पंचायती राज संस्थाओं को संगठित रूप से और अधिक शक्तिशाली एवं जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से राज्य में मुख्यमंत्री पंचायत राज स्वशासन विकास परिषद् का गठन किया जाएगा।**

199. राज्य सरकार द्वारा वित्तीय प्रबंधन एवं राजस्व में अभिवृद्धि पर भी ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में पहली बार वित्तीय वर्ष 2016–17 में 200 करोड़ रुपये के समेकित निक्षेप निधि (Consolidated Sinking Fund) की स्थापना की गई है, ताकि भविष्य में ऋण अदायगी से उत्पन्न होने वाले भार का वहन किया जा सके। **इस समेकित निक्षेप निधि (Consolidated Sinking Fund) को और सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में भी 230 करोड़ रुपये राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया जायेगा।**

200. राज्य सरकार द्वारा वित्तीय प्रबंधन में सुधार के लिए **Integrated Financial Management System** की स्थापना हेतु भारत सरकार से 13.48 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

201. इसके साथ ही वित्तीय प्रबंधन से जुड़े विषयों पर विचार एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु राज्य में **Center for Fiscal Studies** की स्थापना की जायेगी, जिसके लिए दो करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। **यह सेन्टर राज्य सरकार के आंतरिक संसाधन में वृद्धि तथा अनावश्यक व्यय में कटौती हेतु दीर्घकालीन तथा तात्कालिक, दोनों स्तर के सुझाव देगें।**

202. **राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मियों के लिए केन्द्र सरकार के 7वें वेतन आयोग के समरूप अनुशंसाओं को 01.01.2016 के प्रभाव से लागू किया गया है, जिसके फलस्वरूप वेतन तथा पेंशन मद में लगभग 2,500 करोड़ की अतिरिक्त राशि के व्यय की संभावना है। जहाँ एक ओर राज्य सरकार अपने कर्मियों को केन्द्र सरकार के समान वेतन दे रही है, वहीं सरकार की यह भी अपेक्षा है कि सरकारी कर्मी सेवाभाव से काम करें, जिसमें जनहित तथा जनता की सेवा सर्वोपरि रहे।** सरकार सभी स्तर के पदाधिकारियों तथा कर्मियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलायेगी। साथ ही, अलग–अलग **विभागों की Human Resourse Study**

भी सम्पन्न करायेगी, ताकि उपलब्ध मानव संसाधन का बेहतर उपयोग हो सके एवं बदलते वक्त के आवश्यकतानुसार सरकारी कार्यालयों को टेक्नोलॉजी युक्त एवं जनोन्मुखी बनाया जा सके।

203. **महोदय, मैं कोई नया कर प्रस्तावित नहीं कर रहा हूँ।** राज्य के आंतरिक संसाधन का मुख्य श्रोत वाणिज्यकर है। मैं सदन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली (GST) के क्रियान्वयन हेतु संविधान संशोधन विधेयक पर सदन द्वारा अपनी सहमति दी गयी है। GST को लागू करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। GSTN की सहायता से तकनीकी बिन्दुओं को अपडेट किया जा रहा है। वाणिज्य–कर विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को GST का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। GST के क्रियान्वयन में सहयोग करने हेतु सरकार द्वारा एक ख्याति प्राप्त Consultant Firm को रखा गया है।

204. **Goods एवं Service Tax लागू करने में सभी Stakeholders, चार्टेड एकाउन्टेड, वाणिज्यकर अधिवक्ता, Federation of Jharkhand Chamber of Commerce & Industries, व्यवसायी संघ, लघु उद्योग संघ आदि के सहयोग से GST Advisory Committee बनायी जायेगी, ताकि GST लागू करने में सुविधा हो।**

205. देश में **Digital Payment अभियान में झारखण्ड ने आगे बढ़कर अपना हिस्सेदारी दिखायी है तथा राज्य के दो जिलों के उपायुक्तों को भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में सम्मानित कर प्रोत्साहित भी किया गया है। Digital Payment Transaction को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा पाँच हजार रूपये तक के मोबाईल सेट, e-POS मशीन पर वाणिज्य कर में छूट 31 मार्च, 2017 तक दी गई है। इसका विस्तार अगले वित्तीय वर्ष 2017–18 में GST (Goods and Services-Tax) लागू होने तक किया जायेगा।**

206. **राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में पाँच हजार रूपये से अधिक के लेन–देन को एक कार्य योजना बनाकर Digital पद्धति से करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।** साथ ही जो **पंचायत, प्रखण्ड एवं जिला Digital Payment अभियान में अच्छा कार्य करते हैं, उन्हें पुरस्कृत भी किया जायेगा, जिसके लिए बजट में आवश्यक प्रावधान किये गये** हैं।

207. महोदय, आज के तकनीकी युग में समस्त राजस्व अभिलेखों का डिजिटाईजेशन किया जा रहा है, ऑनलाईन म्यूटेशन तथा ऑनलाईन लगान वसूली की कार्रवाई भी राज्य में प्रारंभ की गई है। राज्य में राजस्व प्रशासन हेतु **अपर समाहर्त्ताओं, भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं, जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों, अंचल निरीक्षकों एवं सभी राजस्व कर्मचारियों को टैबलेट उपलब्ध कराया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष सभी मानकी, मुण्डा एवं ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षण देते हुए उन्हें भी टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा।**

208. **अध्यक्ष महोदय, खासमहल भूमि की लीज बन्दोबस्ती/लीज नवीकरण हेतु सलामी एवं लीज रेंट से संबंधित नीति में संशोधन किया गया है।** इससे न केवल खासमहल के लीजधारकों को नवीकरण में सुविधा होगी, बल्कि राज्य के राजस्व प्राप्ति में वृद्धि होगी।

209. **अध्यक्ष महोदय,** मुझे सदन को बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि राज्य के विकास पर व्यय में लगातार वृद्धि के बावजूद राज्य का सकल वित्तीय घाटा FRBM Act (राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम) में निर्धारित सीमा के अन्दर रहा है तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट के अनुमानित व्यय भी अधिनियम के निर्धारित सीमा के अन्दर रहेंगे।

210. **अध्यक्ष महोदय,** इन शब्दों के साथ मैं **राजस्व व्यय के लिए सनतावन हजार आठ सौ एकसठ करोड़ बत्तीस लाख (57,861.32 करोड़ रुपये)** तथा **पूंजीगत व्यय के लिए सत्रह हजार आठ सौ बारह करोड़ दस लाख 17,812.10 करोड़ रुपये, यानि कुल पचहत्तर हजार छः सौ तिहत्तर करोड़ बियालिस लाख रुपये (75,673.42 करोड़ रुपये) का बजट** सदन को समर्पित करता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय,** अंत में मैं **परम श्रद्धेय भारत रत्न, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी** की इन पंक्तियों से अपने बजट भाषण को समाप्त करना चाहूँगा –

**उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में,**
**घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीघर हार में,**
**जीवन के शत्–शत् आकर्षक, अरमानों को ढलना होगा।**
**कदम मिलाकर चलना होगा।**

**जय झारखण्ड।** **जय हिन्द।**